तृतीय माला, खण्ड १०—अंक १४

सोमवार, २६ नवम्बर, १९६२
५ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

PARLIAMENT LIBRARY
P-75
Acc. No. 14
15-1-63

(तीसरा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १० में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में पटाखा विस्फोट . .	१४७७–७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१४७८–७९
राज्य सभा से सन्देश	१४७९
मनीपुर (मोटर स्पिरिट और स्नेहक तेलों की बिक्री) करारोपण विधेयक—	
पुरस्थापित . .	१४७९
युद्ध-विराम के बारे में	१४७९—८१
भारत की प्रतिरक्षा विधेयक .	१४८१—१५२८
श्री हरिश्चन्द्र माथुर .	१४८१–८२
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी .	१४८२
महाराजकुमार विजय आनन्द .	१४८२–८३
श्री सेझियान .	१४८३
श्री रामानन्द शास्त्री .	१४८३—८५
श्रीमती रेणुका राय .	१४८६
श्री दाजी .	१४८६–८७
श्रीमती यशोदा रेड्डी .	१४८७–८८
श्री प्रकाशवीर शास्त्री .	१४८८—९०
श्री मु० इस्माइल .	१४९०
डा० गोविन्द दास .	१४९०—९२
श्री विशन चन्द्र सेठ . .	१४९२—९४
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा . .	१४९४
श्री बृजराज सिंह . .	१४९४—९६
श्री फ० गो० सेन . . .	१४९६–९७
श्री प० ला० बारूपाल	१४९७—९९
श्री अ० कु० सेन	१४९९—१५०३
खंड २ और ३ . .	१५०३—२८
दैनिक संक्षेपिका	१५२९

लोक-सभा

सोमवार, २६ नवम्बर, १९६२

५ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा बारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में पटाखा विस्फोट

श्री उटिया (शहडोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम १९७ के अन्तर्गत गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वतक्तव्य दें :—

"दिल्ली में २२ नवम्बर, १९६२ को दिल्ली क्लाथ मिल्स के निकट पटाखे का विस्फोट"

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : २२ नवम्बर, १९६२ शाम के लगभग ७ बजकर २८ मिनट पर बहादुरगढ़ रोड में दिल्ली क्लोथ मिल्स के दरवाजे के समीप एक बम फटा। उस समय मिल्स के दोपहर बाद की शिफ्ट वाले मिल-मज़दूर आधे घण्ट की तफ़रीह के बाद लौट रहे थे, और परिणामतः बम फटने के स्थान पर बहुत भीड़ हो गई। १८ व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा सहायता दी गई। उनमें से १६ को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, तथा दो को निरीक्षणाधीन रखा गया है। बम साधारण प्रकार का था, और इसके अवशेष इन्स्पेक्टर आफ़ एक्सप्लोज़िक्स को परीक्षणार्थ भेज दिये गये हैं। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा ६ के अधीन मामला दर्ज कर लिया गया है, और तहक़ीक़ात की जा रही है।

2388 (Ai) LSD—1

श्री उटिया : पहले जो और भी विस्फोट दिल्ली शहर में हुए हैं यह उसी प्रकार का है अथवा कोई नई प्रकार का है याने देश की नयी स्थिति से कोई सम्बन्धित है ?

†**श्री दातार** : यह अलग है, और सरकार इस बारे में पूरी जांच कर रही है ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : क्या इससे १८ व्यक्ति घायल हुए ? क्या इसके पीछे कुछ राजनीतिक उद्देश्य था ?

†**श्री दातार** : जांच की जा रही है । पुलिस दल एक विशेष पुलिस सुपरिन्टेंडेंट के नीचे पूरी तरह इस दिशा में सक्रिय है । तीन व्यक्तियों के चालान किये गये हैं, लगभग ५० व्यक्तियों से पूछताछ की थी है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ११४० ।

(दो) दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४२३ में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ६०९/६२ और एल० टी० ६१०/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारी भविष्य निधि (दसवां संशोधन) तथा न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) दूसरा संशोधन नियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १० नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५०१ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (दसवां संशोधन) योजना, १९६२।

(दो) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की धारा ३०क के अन्तर्गत दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५४२ में प्रकाशित न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) दूसरा संशोधन नियम, १९६२।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ६११/६२ और एल० टी० ६१२/६२]।

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : राज्य सभा के सचिव से प्राप्त मुझे एक सन्देश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा अपनी २३ नवम्बर, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २१ नवम्बर, १९६२ को पास किये गये सीमा शुल्क विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है।"

मनीपुर (मोटर स्पिरिट और स्नेहक तेलों की बिक्री) करारपल विधेयक

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र में मोटर स्पिरिट और स्नेहक तेलों की बिक्री पर कर लगाने सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र में मोटर स्पिरिट और स्नेहक तेलों की बिक्री पर कर लगाने सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

युद्ध-विराम के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : तेजपुर पर युद्ध-विराम के बारे में कई नोटिस मेरे पास आये हैं। क्या माननीय प्रधान मन्त्री कोई वक्तव्य देंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** नहीं, श्रीमान्, आज कोई खबर नहीं है

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : हमें पुस्तकालय में एक नक्शे की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि स्थिति को समझने में सरलता हो ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : हमारा शिष्टमण्डल काहिरा और घना जा रहा है, क्या ये राष्ट्र मध्यस्थता कर रहे हैं ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, चीन की ओर से युद्ध-विराम का जो प्रस्ताव रखा गया है और इसके सम्बन्ध में नवम्बर, १९५९ की रेखा के पीछे चले जाने का उन्होंने अपनी ओर से सुझाव दिया है, प्रधान मन्त्री जी का कहना है कि ८ सितम्बर, १९६२ के पहले की लाइन तक उनको पीछे हटना चाहिए, ऊपर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि चीन का जो प्रस्ताव है वह हमारे प्रस्ताव से कहीं अधिक उदार है लेकिन जो आज परराष्ट्र मन्त्रालय के एक प्रवक्ता का वक्तव्य प्रकाशित हुआ है वह सर्वथा भिन्न है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि उस भ्रम को अपने देश में और दूसरे देशों में दूर करने के लिये भी जब परारष्ट्र मन्त्रालय का एक प्रवक्ता वक्तव्य दे सकता है तो परारष्ट्र मंत्री भी क्या आज इस स्थिति में है कि वह इस सम्बन्ध में अपने देश का और दूसरे देशों के भ्रम का निराकरण करें कि हमारी सरकार की स्थिति क्या है ?

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मैंने अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान दिलाने का प्रस्ताव इसलिये किया है ताकि तेजपुर के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सके । २२ नवम्बर को वहां यह आदेश दे दिया गया था कि तेजपुर को खाली कर दिया जाय । यदि यह ठीक है तो क्या इससे घबराहट नहीं फैलेगी ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या प्रधान मन्त्री चीन के युद्ध-विराम प्रस्ताव पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : क्या विभिन्न देशों की सरकारों को अपने दृष्टिकोण से परिचित कराने की व्यवस्था की गयी है ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : बोमडील और सेला में पड़ी हमारी सेनाओं का क्या बना ?

†**अध्यक्ष महोदय** : विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रश्न पूछे जा रहे हैं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : क्या सरकार इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेजा रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं चक्कर में पड़ गया हूं । विभिन्न प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, उत्तर देते हुए भूल जाऊंगा । जो मुझे याद है, उनका उत्तर देता हूं ।

सबसे प्रथम बात मैं यह बताना चाहता हूं कि विधि मन्त्री और वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय के महासचिव शीघ्र ही काहिरा और अकरा जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त राज्य मन्त्री श्रीमती लक्ष्मी मेनन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साफ बर्मा, इण्डोनेशिया और कम्बोडिया जायेंगी तथा वे चीन सरकार के तथाकथित प्रस्तावों के सम्बन्ध में हमारी स्थिति का स्पष्टीकरण करेंगे । यह वही देश हैं जिन्हें लंका सरकार ने इस विषय की चर्चा करने के लिये अपने यहां आमन्त्रित किया है । इन देशों की शीघ्र ही कोलम्बो में बैठक होने वाली है ।

युद्ध-विराम के मामले में कई बातें स्पष्ट नहीं हैं । हमने चीन से स्पष्टीकरण मांगा है । परन्तु अभी तक इस दिशा में पूरा उत्तर और स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेजपुर में हालात सामान्य हो गये हैं और सरकार अब स्थिति के प्रति पूर्ण रुप से सचेत है। सरकार ने इस बारे में आदेश भी जारी किये हैं कि सरकारी कर्मचारियों को हालात के मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। सदस्यों के लाभ के लिए केन्द्रीय हाल में नक्शा टंगवाने का प्रयत्न किया जा रहा है। "सेला और बामडीला" के बीच हमारे जो सनिक रह गये थे, वे सब के सब लौट आये हैं। परन्तु उनकी ठीक ठीक संख्या क्या है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

भारत की प्रतिरक्षा विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री अ० कु० सेन द्वारा २१ नवम्बर, १९६२ को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :—

> "कि जनता की सुरक्षा तथा हित, भारत की प्रतिरक्षा और नागरिक प्रतिरक्षा को सुनिश्चित करने तथा कुछ अपराधों पर मुकदमे चलाने के लिये विशेष उपायों तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मुझे आज विवाद का उत्तर देना होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री उत्तर देंगे और आज यह हम समाप्त करेगें, चाहे कार्यक्रम को कुछ बदलना पड़े।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर) : मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन देने के लिये खड़ा हुआ हूं। विधयक के अन्तर्गत जो सिद्धांत है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जो शक्तियां तथा अधिकार सरकार को दे रहे हैं वे बड़े जरूरी हैं। यदि इस प्रकार न किया जाय तो आपातकालीन स्थिति का मुकाबला करना सरकार के लिये कठिन हो जायेगा। इन शक्तियों के दुरुपयोग करने के संबंध में हमें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिये। राज्यों को जो शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं उनके लिये भी इस प्रकार की शंका करना ठीक नहीं है। फिर भी इस भय के निराकरण हेतु प्रधान मंत्री को राज्यों के मुख्य मंत्रियों को निजी पत्र भेजकर इस जिम्मेदारी का महत्व समझाना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरा इस संदर्भ में सुझाव यह है कि प्रत्येक राज्य में एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिये जो शक्ति के प्रयोग के बारे में सरकार को सलाह दे सके। और इससे भी अच्छी बात यह हो कि गृह-कार्य मंत्री अपने स्वयं के कुछ गुप्तचर रखें।

जो कुछ तेजपुर में हुआ वह वास्तव में खेदजनक है। अत : मेरा निवेदन है कि इस अनुभव की पृष्ठभूमि में हमें वहां प्रशासनिक संगठन को सक्रिय बनाना चाहिये। आज हमें दलों से ऊपर उठ कर राष्ट्र के हित में सोचना है, यदि किसी को गलत सूचना के कारण पकड़ा जाये तो मामला गृह-कार्य मंत्रालय के नोटिस में लाना चाहिये क्योंकि साधारणत : तो हमें यह समझना चाहिये कि कुछ साम्यवादियों की जो गिरफ्तारीयां हुई हैं, वे सरकार को प्राप्त सूचना के आधार पर ही की जा रही हैं।

आज भारत पर चीन का जो नंगा हमला हुआ है, वह कोई डर का विषय नहीं है। डर तो इस बात का है कि हमारा राजनीतिक मोर्चा बन जाना चाहिये। तटस्थ देशों के दिलों में हमारे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

बारे में कोई संदेह पैदा नहीं होना चाहिये। सरकार ने अपना दृष्टिकोण समझाने के लिये जो शिष्ट-मंडल बाहर भेजे हैं, यह बहुत ही अच्छा किया है। एक बात हम को समझना चाहिये कि चीन वाले कूटनीति में बड़े निपुण हैं, उसके प्रति हमें सावधान रहना है ताकि देश की जनता पर उसका कोई कुप्रभाव न पड़े। हमारी जनता की यह भावना बनी रहनी चाहिये कि अन्ततोगत्वा विजय हमारी ही होगी ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैं भारत की प्रतिरक्षा विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे हर्ष है कि हमारे प्रजातंत्रात्मक संविधान के बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखा गया है, इस आपतकाल के खिचावों में भी। में आशा करता हूं कि संसद् हमेशा सजग रहेगी और इस विधेयक को जब यह पारित हो जायेगा, इस भावना से क्रियान्वित किया जायेगा जिस भावना से इसे अधिनियमित किया गया है। प्रशासन की ज्यादतियों की सूचना देने के लिये एक समिति स्थापित की जाये ।

खंड ३ में नियम बनाने के लिये जो उपबन्ध किया गया है, वह अस्पष्ट है और इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि पदाधिकारी अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभा रहे हों, तो उन्हें संरक्षण प्राप्त रहेगा।

मेरा यह भी निवेदन है कि सब मामलों में अपील की व्यवस्था करनी चाहिये। इस से अधि-नियम को क्रियान्वित करने में कोई विलम्ब नहीं होगा। कम से कम एक अपील की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये ।

मैं यह चाहता हूं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरणों या कार्यपालिका द्वारा की गई सब कार्यवाहियों पर निरन्तर नजर रखनी चाहिये ताकि नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। एक ऐसा निकाय भी होना चाहिये जहां प्रशासनिक ज्यादतियों को ले जाकर ठीक किया जा सके।

†**महाराजकुमार विजय आनन्द** (विशाखापटनम) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जो कि मेरे विचार में अविलम्बनीय महत्व का है। यह उन लोगों पर लागू किया जायगा जो राष्ट्र-विरोधी हैं और युद्ध के भी विरोधी हैं।

मेरे विचार में देश में सब साम्यवादियों को तब तक कन्सेन्ट्रेशन कैंपों में रखा जाये, जब तक कि हम अपनी इंच इंच भूमि वापस नहीं ले लेते। उन्हें वहां समाचारपत्र पढ़ने की आजादी होनी चाहिये। मैं किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत नहीं करना चाहता। किन्तु यह मेरा सामान्य विचार है कि हम जितनी जल्दी इन को कन्सेन्ट्रेशन कैम्प में डाल दें, उतना ही अच्छा है।

मुझे हर्ष है कि भविष्य में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लेख याचिकाओं की संख्या कम हो जायेगी। यह इस विधेयक को लागू करने का एक परिणाम होगा। किन्तु में समझता हूं कि जो याचिकायें इस विधेयक के पुरःस्थापित होने से पहले दायर की गई थीं, उनका निर्णय होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कहते थे कि हमें राष्ट्रमंडल से अलग हो जाना चाहिये कि अब उनका क्या विचार है? मैं उन से पूछना चाहता हूं कि हमारी मदद को कौन आये हैं और किन्होंने हमें बिना शर्तों के शस्त्रों की सहायता दी है?

जो लोग विधियों का पालन करते हैं, उन्हें इस विधेयक से डरना नहीं चाहिये।

†**श्री सेझियान** (पेरम्बलूर) : देश को युद्ध के लिये अच्छी तरह तैयार करने के लिये यह उचित ही है कि सरकार को शक्तियां देने के लिये विशेष उपबन्ध किये जायें। हमारा देश एक शांतिप्रिय देश है किन्तु इसे युद्ध में घसीटा गया है। लोगों का प्रत्युत्तर उत्साहजनक है। अब यह आवश्यक है कि इस अपार उत्साह का सदुपयोग किया जाये और देश के प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाये कि वह युद्ध की तैयारी में अपना पूरा योगदान दे।

चीनियों ने युद्धविराम का जो प्रस्ताव किया है, हमें उसके धोके में नहीं आना चाहिये। चाहे उन्होंने यह प्रस्ताव किसी कारण से किया हो, हमें अपने देश को मजबूत बनाने की तैयारी धीमी नहीं करनी चाहिये। इस समय हमारी सब से बड़ी आवश्यकता यही है कि हम मजबूत और शक्तिशाली बनें।

हमें हर्ष है कि प्रजातांत्रिक मित्र देशों ने हमें सहायता दी है। हम इसका स्वागत करते हैं और हम इसके लिये आभारी हैं।

चीनी चाहते हैं कि हम उन के सामने घुटने टेक दें। किन्तु हमारा निश्चय है कि हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे परन्तु पेंकिंग सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। हमें चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। हमें अपने आपको कम से कम समय में सामान, शस्त्रों आदि से लैस करना है। हमें हर तरीके से अपना उत्पादन और कार्यक्षमता बढ़ानी है और प्रत्येक औद्योगिक एकक की संस्थापित क्षमता का पूरा लाभ उठाना है। इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार के लिये यह संभव होना चाहिये कि वह हर प्रकार के उत्पादन पर नियन्त्रण कर सके। परिमाण और गुण प्रकार नियन्त्रण सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिये।

मुझे खुशी है कि सरकार ने एक उच्चस्तरीय मूल्य स्थिरीकरण समिति बना दी है और कुछ उद्योगों के लिये मूल्य नियन्त्रक नियुक्त किये हैं। हमें सब आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और मुल्यों पर निरन्तर नजर रखनी चाहिये।

कृषि उत्पादन को हर कीमत पर ऊंचा रखना है, क्योंकि युद्ध जीतने के लिये यह अत्यावश्यक है। हमें किसानों को बताना चाहिये कि उन का काम युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के काम से कम महत्व का नहीं है।

मुझे आशा है कि इस विधेयक में जो शक्तियां ली गई हैं, उन का प्रयोग प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिये किया जायेगा, इस को दबाने के लिये नहीं।

श्री रामानन्द शास्त्री (रामसंचीघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो इस डिफेंस आफ इंडिया बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूं।

इस बिल पर मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। दो चार बातें ही इसके समर्थन में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हमारे देश के सामने विकट परिस्थिति है। जिन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामानन्द शास्त्री]

परिस्थतियों में से हो कर हमारा देश गुजर रहा था। उनको देखते हुए इस बिल को बहुत पहले आना चाहिये था। फिर भी सुबह का भूला यदि शाम को आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहा जा सकता है, वह ठीक ही है।

मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हम तैयारी कर रहे थे, वह समस्या को देखते हुए बहुत ही थोड़ी थी। हमको तेजी से तैयारी करनी चाहिये थी और चारों ओर हमें ध्यान रखना चाहिये था। आज भी हम को चारों तरफ ध्यान रखना है। पिछले दिनों जितनी खराबियां हुई हैं, वे खराबियां अब हमें नहीं होने देनी है। जिस प्रकार से असम इत्यादि में कम्यूनिस्टों और दलाई लामा के साथ आए लोगों ने कार्य किये हैं उनकी ओर हमें बहुत पहले ध्यान देना चाहिये था। दलाई लामा के साथ आए लोग असम इत्यादि मैं भिन्न भिन्न प्रकार के बिजिनेस में लग गए, और वहां बस गये लेकिन हमारे विभाग ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। समय समय पर इस ओर उसका ध्यान दिलाया गया और इसके बारे में कहा गया लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस चीज को मैं समझता हूं बार बार दौहराने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त और इस परिस्थिति हैं में आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों जिस प्रकार से हम उदासीन रहे हैं, जिस प्रकार से हमने गम्भीरता नहीं दिखाई है, उस प्रकार से उदासीन हम न रहें और स्थिति की गम्भीरता को समझें। हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है।

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी पीठासीन हुए]

इस सदन में मैं देख रहा हूं कि कई पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। लेकिन जिन भाइयों ने इसका समर्थन नहीं किया है, जिस पार्टी ने नहीं किया है उन से मैं कहना चाहता हूं, जो चीन के समर्थक हैं, कि वे भी अपने रवैये को बदलें। मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ बहुत टेढ़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि यह बिल जिस रूप में यहां पर उपस्थित किया गया है उसी रूप में हम इसको पास कर दें और इसको देश में लागू कर दें।

जहां तक हमारे सैनिक संगठन का संबंध है, हमको बहुत ज्यादा संख्या में और बहुत तेजी से भर्ती करनी चाहिये। हर इलाके में मैं देखता हूं कि हजारों की संख्या में, सैंकड़ों की संख्या में, लोग भर्ती होने के लिये आते हैं लेकिन मामूली तरीके से उनको लिया जाता है और इस बात की कोशिश नहीं की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को भर्ती किया जाए। मैं समझता हूं कि इस तरह की जो हमारी ढिलाई रही है, इसी के कारण आज हम को युद्ध की परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बहुत तेजी से और बहुत विशेष रूप में भरती होनी चाहिये। बहुत दिनों तक हम सोये रहे और अब हम जगे हैं। अब जगने के बाद बहुत तेज दौड़ लगाने के बाद ही हम स्थिति को सम्भाल पायेंगे।

मैं यह भी समझता हूं कि आज जो चीन ने युद्ध बन्द करने की घोषणा की है, यह एक धोखा है। वह एक ऐसी जगह तैयारी कर रहा है, जहां का आपका ध्यान बहुत कम है और उसी जगह पर वह हमला करने वाला है। इसलिये आप मेहरबानी करके चारों तरफ का ध्यान रखें।

इसके अलावा दूसरी जहां हमारी सरहदें हैं, दूसरी हमारी सीमायें हैं, उनकी तरफ भी हमें ध्यान रखना है। किसी भी पहलू पर, किसी भी विचार पर और किसी भी स्थिति में हम को कभी भी दुश्मन का विश्सास नहीं करना चाहिये।

हमारे यहां संस्कृत में एक सूक्ति है :

"न विश्वसेत् पूर्व विरोधितस्य शत्रोश्चमित्रत्वमुपागतस्य"

चाहे शत्रु मित्रता को भी प्राप्त हो जाय लेकिन उसका विश्वास नहीं करना चाहिये । कई बार चीनियों ने अपने वचनों का उल्लंघन किया और भारत सरकार ने उसको मान लिया । जो कुछ हमारे यहां पृथ्वीराज चौहान ने किया उसकी याद दिलाना मैं आवश्यक नहीं समझता लेकिन फिर भी यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि उसने १७ बार मुहम्मद गौरी को गिरफ्तार किया लेकिन छोड़ दिया । मगर मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पहली बार ही गिरफ्तार करने के बाद नहीं छोड़ा । भारत सरकार ने इतनी बार चीन के साथ बातचीत की है । अगर वह फिर किसी तरह से उनकी उलझन में फंस गई तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार के पास सिवा इसके कोई और चारा नहीं रह जायेगा कि वह आत्महत्या कर ले । इसलिये किसी भी हालत में चीन के साथ सुलह की बातचीत नहीं होनी चाहिये । इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारत के प्रत्येक नर नारी को हथियार दिय जायें । सब को उनकी ट्रेनिंग दी जाये चाहे वह वृद्ध हो या युवा हो । अगर आप आज ही इसको पूर्ण रूप से आरम्भ नहीं कर देते हैं तो चीन का मुकाबला करने में आपको बहुत समय लग जायेगा । मैं बार बार यह कहना चाहूंगा कि हमें पिछली गलतियों को नहीं दोहराना चाहिये और बहुत तेजी से अपनी तैयारी करनी चाहिये ।

हमारे यहां दूसरी सूक्ति में यह कहा गया है :

"आततायिनम् आयान्तम् हन्या देयाविचारयान्
न आततायी वधे दोषो प्राणिनाम् स्यात् कर्हिचित्"

अर्थात् अगर कोई आततायी जो दुष्ट हो और दुश्मन हो वह सामने गलत तरीके से आकर आक्रमण करता है तो उसको मारने में कोई हिंसा नहीं है । उसको मारने में तो अहिंसा ही है क्योंकि जब हम उस दुष्ट को मारेंगे तब ही लोगों को शान्ति मिलेगी । यह एक प्रकार की अहिंसा है । हमारे नेता ने और हमारे भारत ने जो पंचशील का सिद्धान्त मान कर चीन को तिब्बत दे दिया था और यह सोचा था कि ऐसा करने से वे शान्त हो जायेंगे, मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी गलती हुई थी । उसको अब दुबारा नहीं दोहराना है । मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से ल्हासा में हमारी फौजें पहले थीं जब तक उसी प्रकार से फिर हमारी फौजें वहां नहीं रक्खी जायेंगी तब तक स्थिति ठीक नहीं होगी । इसलिये हम को इस चीज को ध्यान में रख कर तैयारी करनी चाहिये । इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि बहुत सतर्कता और बहुत जोर से तैयारी करने से ही हम अपने देश की रक्षा कर सकेंगे अन्यथा नहीं ।

एक बात मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । उस पार्टी में भी हमारे यहां बहुत से अच्छे भाई हैं फिर भी वे उस पार्टी से बंधे हुए हैं कि मौका आने पर वे उनका विरोध नहीं कर सकते । इसलिये मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि उन भाइयों के साथ हमारा सहयोग होते हुए भी देश भर में हमें उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है । जब भी कोई बहुत मीठी मीठी बात उधर से करता है तो हम लोग उसके चक्कर में आ जाते हैं । हम को उनके इस चक्कर में आने की आवश्यकता नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : संविधान के निर्माताओं ने अनुमान लगा लिया था कि भारत को कभी बाहरी आक्रमण का सामना करना पड़ सकता है । इसलिये सरकार को शक्तियां देने का उपबन्ध एक विधेयक के द्वारा किया जा सकता है ।

हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ८ सितंबर, १९६२ की स्थिति के अनुसार हम बातचीत कर के समझौता करने के लिये तैयार हैं । किन्तु माओ का चीन इस प्रकार का समझौता नहीं चाहता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि भारत उन्नति करता रहे । वर्तमान स्थिति में यह आवश्यक है कि हम सरकार को सब प्रकार की शक्तियां दें, जैसा कि संविधान में कहा गया है । जैसा कि विधि मन्त्री ने कहा है, खण्ड ३ में सब प्रकार की शक्तियां दी गई हैं जो कि बिल्कुल उचित है । ऐसा करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये । वास्तव में मुझे खुशी है कि भारत विरोधी प्रचार करने वालों और तोड़फोड़ की कार्यवाही करने वालों की गिरफ्तारियां की गई हैं । मुझे आशा है कि हर प्रकार की तोड़ फोड़ की कार्यवाही को सख्ती से दबाया जायेगा । हमने इस प्रयोजन के लिये सरकार को शक्तियां दी हैं और हम आशा करते हैं कि इनका उचित प्रयोग किया जायेगा ।

प्रशासन के मामले में हमें बताया गया है कि इसे युद्ध की कार्यवाही के अनुकूल बनाया जा रहा है । प्रशासन की कार्यवाही में विलम्ब करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये । मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि क्या केन्द्र में विभिन्न मन्त्रालयों के बीच उचित समन्वय है या नहीं और क्या अपव्यय को बन्द किया जा रहा है ।

प्रचार के मामले में मैं कह सकती हूं कि आकाशवाणी के कार्यकरण में अवश्य कुछ सुधार हुआ है । किन्तु समाचारों के बारे में सुधार नहीं हुआ । यदि हम चाहते हैं कि युद्ध की तैयारी अच्छी तरह हो, तो गुप्तचर विभाग में सुधार करना होगा ।

म इस बात पर भी जोर देना चाहती हूं कि लोगों में जो उत्साह और जोश पाया जाता है, इसका सदुपयोग किया जाना चाहिये । मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : आम तौर पर जो यह धारणा पाई जाती है कि हम इस विधेयक का विरोध करते हैं, वह गलत है । हम अनुभव करते हैं कि चीनी सेनाओं द्वारा आक्रमण की स्थिति में इस प्रकार के विधेयक का लाया जाना स्वाभाविक है । किन्तु हम समझते हैं कि विधेयक का आवश्यक और अच्छा होते हुए भी, इसमें ली गई शक्तियां इतनी अधिक और व्यापक हैं कि इनके दुरुपयोग की सम्भावना हो सकती है । हमें सोचना चाहिये कि इस बात को रोकने के लिये संरक्षण नहीं रखे जा सकते ।

हमें भारत की प्रतिरक्षा नियमों की नकल नहीं करनी चाहिये और जैसा कि मैंने संशोधन दिया है, इसके नाम को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अधिनियम रख देना चाहिये ।

हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चीनी आक्रमण बिल्कुल न्यायोचित नहीं है और भारतीयों के नाते तथा साम्यवादियों के नाते हमें लड़ना चाहिये । हमने इस बात की प्रतिज्ञा कर ली है और हम इसको पूरा करेंगे ।

विधेयक में हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, किन्तु इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हमने स्वयं श्रमिकों से कहा है कि हड़ताल नहीं होनी चाहिये और उत्पादन के लिये एक मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिये । हड़तालों को छोड़ कर उत्पादन को बढ़ाने पर अधिक जोर देना चाहिये और हम ऐसा करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यहां इस गिरफ्तारी या उस गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं है। किन्तु जब सारी की सारी समितियां ही गिरफ्तार कर ली जायें, तो यह वास्तव में एक प्रतिबन्ध ही हो जाता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक खतरा यह भी है कि समाचारपत्रों में जवानों और प्रधान मन्त्री के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है किन्तु गृह मन्त्रालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

१९ नवम्बर, १९६२ के "आर्गेनाइजर" में कहा गया है कि आपको यह आशा नहीं करनी चाहिये कि लोग प्रधान मन्त्री के अंधानुगामी बनेंगे। एक और अंक में कहा है कि पंडितजी जान बूझ के तलवे चाट रहे हैं। ३० फीरोजशाह रोड से मुझे पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि यदि प्रधान मन्त्री निर्णय नहीं कर सकते तो देश को या राष्ट्रपति को उसके स्थान पर और प्रधान मन्त्री चुनना चाहिये। यदि प्रतिरक्षा विधेयक न हो तो इस प्रकार का घृणित आन्दोलन चलता रहेगा।

ऐसे समय में हमें वर्गवाद और सम्प्रदायवाद में नहीं फंसे रहना चाहिये। चाहे कितनी उत्तेजनात्मक बातें कही जायें हम चीनियों को देश से खदेड़ने के निश्चय पर कायम रहेंगे और उद्देश्य की सचाई और देश के संगठन के कारण हम विजयी होंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट तो बहुत कम रहेंगे।

श्री बिशन चन्द्र सेठ (एटा) : कई माननीय सदस्यों को बीस मिनट तक दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, श्री सेठ, से मुझे यह शिकायत है कि जब मैंने उनको बुलाया, तो वह हाउस में नहीं थे।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे बुलाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को आइडिया कौन देगा ?

श्री बिशन चन्द्र सेठ : उसके लिये मैं माफ़ी चाहता हूं। मुझे आज मौका दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : आज हम श्री प्रकाशवीर शास्त्री का प्रस्ताव नहीं लेंगे। अभी भारत प्रतिरक्षा विधेयक पर चर्चा जारी रहेगी और एक घंटे बाद माननीय मन्त्री से उत्तर देने के लिये कहूंगा।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** (करनूल) : चीन ने यह चाल चाहे रूस के प्रभाव के कारण चली हो या अन्य देशों को भ्रम में डालने के लिये किन्तु भारत अब धोखे में नहीं आ सकता। माओ ने तो एक घोषणा में कहा था कि हमारे युद्ध में आक्रमण और प्रतिरक्षा दोनों पहलू हैं।

श्री दाजी ने कम्युनिस्टों का बहुत समर्थन किया है। मैं इस बारे में यह कहना चाहती हूं कि जो कम्युनिस्ट गिफ्तार किये गये हैं वह ठीक ही किया गया है क्योंकि जो व्यक्ति आक्रान्ता की प्रशंसा करते हैं वे कभी इसे कार्यान्वित भी कर सकते हैं। सरकार के विरुद्ध कहने का अधिकार तो नागरिकों को दिया जा सकता है किन्तु देश की सुरक्षा में बाधा पहुंचाने का नहीं।

साम्यवादियों से मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यदि वे देशभक्त हैं तो जेल जाना भी देशभक्ति है। कुछ लोग युद्ध क्षेत्र में अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं तो कुछ का जेल जाना ही सबसे बड़ी सेवा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती यशोदा रेड्डी]

हमारी पूरी उत्पादन क्षमता का प्रयोग नहीं हो रहा और लगभग ५०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की हानि हो रही है। इसी प्रकार जनशक्ति भी नष्ट हो रही है और प्राय: २ करोड़ लोग बेकार हैं जिनका उपयोग सेना बना कर और राष्ट्रीय श्रम सेवा स्थापित करके की जा सकती है।

अन्त में मैं यह निवेदन कर देना चाहती हूं कि देश के प्रतिरक्षा कार्यों में बाधा पहुंचाने वाले ही साम्यवादी नहीं कांग्रेसी भी हों तो भी सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, जिन गम्भीर परिस्थितियों में यह विधेयक इस सदन में उपस्थित किया गया है मेरा अपना विचार है कि इस सदन के किसी भी पक्ष का कोई सदस्य इस प्रकार का होगा जिसकी यह राय हो कि इस विधेयक को स्वीकार न किया जाए। साथ ही साथ जिन गम्भीर परिस्थितियों में यह विधेयक आया है उनको देखते हुए इसके प्रयोग में भी उतनी ही गम्भीरता और पवित्रता बरती जाएगी यह भी सब की इच्छा है। यदि ऐसा न हुआ तो यह भी बहुत सम्भव है कि कभी आगे चल कर इसी प्रकार की कठिन परिस्थितियों का सामना फिर देश को करना पड़े और उन कठिन परिस्थितियों में फिर जनता का विश्वास या सदन का विश्वास ही सरकार से उठ जाए। इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस विधेयक के प्रयोग में भी उसी प्रकार की सावधानी बरती जाए और इसके लिये बहुत कुछ अच्छा यह है कि जिन हाथों में इस विधेयक के प्रयोग का अधिकार दिया जाए, उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप न किया जाए। व्यक्तिगत विरोध में आकर जो दबाव डाला जाता है जिससे विधेयक की आत्मा का हनन होता है, उस प्रकार की प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं की जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह अराष्ट्रीय तत्वों के सम्बन्ध में है। मुझे प्रसन्नता है कि अभी तक यह विधेयक यहां पूरा स्वीकार भी नहीं हुआ कि कुछ अराष्ट्रीय तत्वों की विशेष कर साम्यवादियों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उन गिरफ्तारियों का परिणाम यह निकला है कि हमारे उन साथियों का स्वर बदलना शुरू हो गया है और अब जो भाषा उन्होंने बोलनी आरम्भ की है, वह मैं समझता हूं कि आज के पहले उठाये गये पग का परिणाम ही है। अगर आप इसी प्रकार की दृढ़ता इसमें लायेंगे तो सम्भव है कि उनकी मानसिक मनोवृत्ति पर भी किसी प्रकार का प्रभाव अवश्य पड़े। यह भी सम्भव है कि साम्यवादी पार्टी में कोई इक्का दुक्का देशभक्त हो जो देश की इन परिस्थितियों में देश का साथ देना चाहे लेकिन जहां तक सामूहिक रुप से इस दल का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि देश का विश्वास यह पार्टी खो चुकी है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप इस पार्टी के पिछले इतिहास को देखें जब हम स्वतन्त्रता का युद्ध लड़ रहे थे उसमें जब गांधीजी ने देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ किया तो इसी पार्टी के सदस्यों ने १९३९ में यह कहा था कि एक एक आदमी को जेल भेज कर भला कहीं देश स्वतन्त्र हो सकता है। लेकिन जब गांधीजी ने तीन साल के व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा देश में अनुकूल वातावरण का निर्माण कर दिया और १९४२ में यह नारा दिया "डू आर डाई" करो या मरो, उस समय इस पार्टी ने कहा कि गांधीजी ने यह क्या काम किया, एक साथ सारे देश को क्रान्ति की भट्टी में झोंक दिया, पहले देश को तैयार तो कर लिया होता। गांधीजी ही नहीं, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने जिस समय आजाद हिन्द फौज का निर्माण किया तो इसी पार्टी के सदस्य थे जिन्होंने उनको क्विज़लिंग, कौमी गद्दार और जापानी कुत्ता कह कर पुकारा था और कहा था कि सुभाष चन्द्र बोस यहां पर जापान की हुकूमत लाना चाहते हैं। इसका कारण क्या था। साम्यवादी जो आज पूंजीवाद को बुरा कहते हैं दूसरे महायुद्ध के समय उसी पूंजीवाद और

साम्यवाद की मैत्री थी और उस समय चर्चिल और स्टालिन दोस्त थे, रूजवैल्ट और स्टालिन दोस्त थे। हिन्दुस्तान के स्वतन्त्रता आन्दोलन से अंग्रेज को चोट लगती थी, अंग्रेज को चोट लगने का अभिप्राय यह था कि चर्चिल को चोट लगती थी और चर्चिल को चोट लगने का अभिप्राय यह था कि कम्युनिस्टों के भाग्य विधाता स्टालिन को चोट लगती थी, इसलिये वे गांधीजी को भी बुरा कहते थे, सुभाष बाबू को भी बुरा कहते थे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं विस्तार से इसकी चर्चा कर सकूं। लेकिन वास्तविकता से आंख नहीं मूंदी जा सकती है। विभाजन के समय इस पार्टी की गतिविधियां क्या रहीं, काश्मीर के तत्कालीन मुख्य मन्त्री शेख अब्दुल्ला के साथ इस प्रकार का रोल क्या रहा, इसको भी देश जानता है। जहां तक वर्तमान का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन के साथ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का लगाव है, तब तक कोई भी इस प्रकार के प्रस्तावों पर या इस प्रकार के वक्तव्यों पर विश्वास नहीं कर सकता है, जिस प्रकार के प्रस्ताव इन्होंने पारित किये हैं या जिस प्रकार के वक्तव्य दिये हैं। सचाई यह है कि यह पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है, यह पार्टी यदि चाहती है कि देश के हृदय में फिर से अपना स्थान बनायें तो मेरा बड़ा विनम्र सुझाव है कि जब तक देश में संकटकालीन स्थिति है तब तक कम्युनिस्ट पार्टी को राजनीति से सन्यास ले लेना चाहिये और देश की जनता को जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य है, उनके ऊपर उसी प्रकार की निगरानी रखनी चाहिये जिस प्रकार की निगरानी कि पुलिस हिस्ट्री शीटर के ऊपर रखी जाती है। और अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो तो फिर मैं कहूंगा कि सरकार को अपने कर्तव्य को दृढ़ता से पालन करना चाहिये और वहां रखना चाहिये जहां ऐसे व्यक्ति रखे जाते हैं।

असम राज्य के सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से कुछ कहना चाहता हूं जहां तक इस डिफेंस आफ इण्डिया बिल का सम्बन्ध है, मैं उसके लिये उसे मुख्य आधार बनाना चाहता हूं। वहां पर पहले ही साढ़े सात लाख पाकिस्तानियों के आने से स्थिति दूषित हो चुकी थी। और अब असम में चीनी आक्रमण ने बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। जैसी स्थिति आज हिन्दुस्तान की चल रही है उसको देखते हुए हमें असम राज्य के बारे में दो काम करने होंगे। जिन हाथों में इस समय असम राज्य की पोस्ट्स मुख्य पदाधिकारी है। उपाध्यक्ष, महोदय, परिस्थितियां आज्ञा नहीं देती हैं, कि मैं उन सारी बातों की विस्तार के साथ यहां चर्चा करूं। लेकिन पाकिस्तान से आए हुए साढ़े सात लाख नागरिक जो असम में बस गए हैं, वे असम की होम गार्ड में शामिल हो रहे हैं, विल्लेज डिफेंस फोर्स में शामिल हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि आगे चल कर खतरा है कि कहीं वे वही पार्ट अदा न करें जो पार्ट कि कभी हैदराबाद में रजाकारों ने अदा किया था।

असम राज्य में इन पाकिस्तानियों के आ जाने से किस प्रकार की घटनायें घट रही हैं, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ब्रह्मपुत्र नदी का जो नया पुल बना है, उसका फोटो एक आदमी रहस्यमय ढंग से चारों ओर घूम कर ले रहा था। उसके पास कीमती बारह सौ रुपया वाला कैमरा था। असम राज्य के मुख्य मन्त्री श्री चालिहा ने कांग्रेस पार्टी में इस बात का उद्घाटन किया था। जिस समय वह फोटो ले रहा था तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के पश्चात् एक कमरुद्दीन नामक व्यक्ति ने उसको एक हजार रुपये की जमानत पर छुड़ा लिया। पहली बात तो यह है कि इस प्रकार के अपराध के लिये एक हजार रुपये की जमानत ही बहुत थोड़ी है। लेकिन छुड़ाने के पश्चात् क्या हुआ ? वह व्यक्ति तो वहां से गायब हो गया और जिसने जमानत दी थी, उसको भी आज तक नहीं पकड़ा जा सका है।

उपाध्यक्ष महोदय, असम राज्य की आन्तरिक स्थिति जिसमें जैसा मैंने कहा वहां साढ़े सात लाख पाकिस्तानी आकर आ- द हो गए हैं। दूसरे वहां पर चीन का अतिक्रमण हुआ है। इन सब बातों को देखते हुए सम्भव है कि कल आपको कोई तत्काल निर्णय लेने पड़ें। ऐसी स्थिति में मेरी यह

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

स्पष्ट राय है कि जब तक संकटकालीन स्थिति रहती है, केन्द्र सरकार को असम का शासन अपने हाथों में ले लेना चाहिये ताकि कल को और किसी कठिन परिस्थिति का सामना न करना पड़े ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पांच मिनट तो मैं समझता हूं देना उपयुक्त नहीं होगा । मैं दो मिनट में खत्म किये देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : नौ मिनट ले लिये हैं । यह सब आप कह चुके हैं । यह अब पुरुक्ति है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यों कह कर अन्त में समाप्त करता हूं कि जब तक संकटकालीन स्थिति है पेकिंग और पाकिस्तान के रेडियो सुनने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए । ये दोनों ही बड़ा भ्रम और रोष पैदा कर रहे हैं और उनके द्वारा भारत में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की जा रही है । जहां हम डिफेंस आफ इण्डिया बिल पास कर रहे हैं, वहां हमें एक यह काम भी जरुर करना चाहिये ।

†**श्री मुहम्मद इस्माईल** (मंजेरी) : भारत प्रतिरक्षा विधेयक बहुत आवश्यक विधेयक है । चीन ने युद्ध-विराम की बात चला कर हमें धोखा देने का प्रयत्न किया है ताकि हमारे युद्ध सम्बन्धी प्रयत्न ढीले पड़ जायें और हमारे मित्र राष्ट्र हमें सहायता देने में भी ढील कर दें । मैं समझता हूं कि सरकार ने इस स्थिति को समझ लिया है और वह युद्ध की तैयारी में ढील नहीं आने देगी ।

खेद है कि पाकिस्तान अभी तक स्थिति को नहीं समझ सका कि आज जो खतरा हमारे समक्ष है वही कल उनके समक्ष हो सकता है । हम चीन के युद्ध न करने के महत्व को समझ गये हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पंचशील के सिद्धान्तों का क्या बना है ? किन्तु आज समस्त राष्ट्र आक्रान्ताओं का मुकाबला करने के लिये तैयार हो गया है ।

भारत प्रतिरक्षा विधेयक पहले के ऐसे अधिनियमों से सर्वथा भिन्न है । अंग्रेजों के जमाने में तो हम परतन्त्र थे । किन्तु अब हमारी स्वतन्त्रताओं पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं वे वास्तविक प्रतिबन्ध नहीं हैं । बल्कि सरकार इनकी सहायता से लोगों का मार्ग प्रशस्त करेगी कि उन्हें आपातकाल में क्या करना चाहिये और क्या नहीं ।

देश में चमड़ा रंगने का उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है । गत युद्ध में सिपाहियों के बूटों के लिये हमारा उद्योग ही सारा सम्भरण करता रहा है । मुझे विश्वास है कि अब भी यह उद्योग अवसर के अनुसार देश की सेवा करेगा ।

देश में कृषकों की संख्या सबसे अधिक है और वे देश की रक्षा के लिये पूर्णत: संलग्न हैं । सरकार के प्रतिरक्षा विधेयक के प्रशासन में यह ध्यान रखना चाहिये कि कृषकों का ध्यान कहीं और न जाये और उनका उत्साह बना रहे । मुझे पूरी आशा है कि अन्त में हमारी विजय होगी ।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं । उस दिन भी मैंने इस विधेयक पर कुछ कहा था । बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं गलती कर रहा था । जब मुझे यह मालूम हुआ तब मुझे महाभारत की एक कथा याद आ गई । जिस समय कौरवों और पांडवों की शस्त्र परीक्षा थी उस समय एक चिड़िया को रक्खा गया था दरख्त के ऊपर । दोनों से कहा गया था कि उनको चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है । द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा कि तुम को क्या दिखाई देता है । किसी ने कहा कि मुझे आप सब दिखाई देते हैं, यह दरख्त दिखाई देता है, यह चिड़िया दिखाई देती है । किसी ने कहा मुझे दरख्त दिखाई देता है । किसी ने कहा मुझे चिड़िया

---

†मूल अंग्रेजी में

दिखाई देती है। अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की केवल आंख दिखाई देती है। स्वतन्त्रता के संग्राम में जिन लोगों ने भाग लिया है उन्हें इस समय केवल एक बात दिखाई देती है और वह है भारत की स्वतन्त्रता। और कुछ उनको दिखाई नहीं देता। इसलिये मुझ से इस प्रकार की गलती हो जाने से मेरी विशेषता बढ़ती है, ज्ञान की कमी उससे सिद्ध नहीं होती क्योंकि आखिरमें पिछले चालीस सालों से इस सदन में काम कर रहा हूं।

जहां तक साम्यवादियों का सम्बन्ध है, मैंने बहुत कुछ उनके लिये कहा है, श्री हीरेन मकर्जी के लिये कहा है।

मेरे उस भाषण को इसमें शामिल कर दिया जाए।

जहां तक सुभद्रा जोशी जी का सम्बन्ध है कांग्रेस वालों को उनका भाषण सुन कर जरा आश्चर्य हुआ होगा। लेकिन मुझ कोई आश्चर्य नहीं हुआ। दो वर्ष पहले जब जबलपुर में हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ था तो सुभद्रा जोशी जी वहां भेजी गयी थीं। और उन्होंने वहां जाकर सबसे पहले कम्युनिस्टों से अपना रब्त जब्त किया। हम को उस वक्त अनप्रोग्रसिल कहा जाता था और ये प्रोग्रसिव समझी जाती थीं। यह जो प्रोग्रेसिव और अनप्रोग्रेसिव वाली चीज पैदा हुई इससे हमारे यहां बहुत बड़ी पंचायतें हो गयीं। अगर ऐसे अवसर पर भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू सदृश हमारे राष्ट्रीय वीर के प्रधान मन्त्री होते हुए भी हम इस विधेयक को पास नहीं करते हैं, उनका विश्वास नहीं करते हैं जबकि देश पर संकट आया है, तो मैं नहीं समझता कि हम क्या कर रहे हैं।

जहां तक इस देश का सम्बन्ध है, प्रकाशवीर शास्त्री जी ने जो साम्यवादियों के सम्बन्ध में कहा है उससे मैं सहमत हूं। अभी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बोल रहे थे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर उनमें सच्ची देशभक्ति है तो उनको इस अवसर पर मुस्लिम लीग को समाप्त कर देना चाहिये और जो भी इस तरह के राष्ट्रीय विचार वाले हैं उनको कांग्रेस में आ जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : हिन्दू महासभा को भी समाप्त हो जाना चाहिये।

डा० गोविन्द दास : जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, हमें जहां एक तरफ फौजी तैयारी करनी है, वहां दूसरी तरफ हमें आन्तरिक सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना है। हमारे देश की एक बड़ी कमजोरी रही है। जब हमारे देश पर सिकन्दर का आक्रमण हुआ तो उस समय राजा आम्भीक उसका स्वागत करने के लिये तैयार था, जिस समय हूणों का देश पर आक्रमण हुआ तो गुप्तों के विरुद्ध बौद्ध उसका स्वागत करने के लिये तैयार थे, जिस समय मुसलमानों का आक्रमण हुआ उस समय जयचन्द उनका स्वागत करने को तैयार थे और जब अंग्रेजों का आक्रमण इस देश पर हुआ तो उनका स्वागत करने के लिये अमीचन्द और मीर जाफर मौजूद थे।

मैं इतिहास का एक छोटा सा विद्यार्थी रहा हूं। हम जब अपने देश का पुराना इतिहास देखते हैं तो हमें विचार आता है कि हमको ऐसे लोगों से आगाह रहना है और सरकार को और देश को ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिये।

जहां तक हमारी योजनाओं का सम्बन्ध है, आज ऐसा अवसर आ गया है कि हमको कृषि और उद्योग धंधों का काम करते रहना चाहिये और उनके उत्पादन को बढ़ाना चाहिये।

मैं कल्चुरल चीजों का समर्थक रहा हूं, सांस्कृतिक चीजों का समर्थक रहा हूं और अब भी हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय सांस्कृतिक चीजों को और इस तरह की अन्य चीजों को बन्द कर देना चाहिये। हमको केवल देश का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिये और फौजी तैयरी करनी चाहिये।

इतना ही कह कर मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बिशनचन्द्र सेठ : ।

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर): और सदस्यों को दो-दो तीन-तीन बार बोलने का अवसर मिल चुका है और मुझे एक बार भी अवसर नहीं मिला है ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : मुझे समय नहीं दिया गया । मैंने पहले भी लिख कर दिया था ।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है । इस बिल के सम्बन्ध में कोई बात कहने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इसको मान्यता देता हूं । इस बिल की आज नितान्त आवश्यकता थी । आज देश में इमरजेंसी लगी हुई है, जिन कारणों से लगी है उनका मैं परिचय देना नहीं चाहता । अत: इस बिल का स्वागत करता हूं ।

लेकिन इसके साथ साथ यह नितान्त आवश्यक है कि इस बिल का दुरुपयोग सरकार के द्वारा नहीं होना चाहिये । आज लोगों में बड़ी सद्भावना पैदा हो गयी है, अगर इस बिल का दुरुपयोग हुआ तो लोग इसको शंका की दृष्टि से देखने लगेंगे और उस सदभावना में कमी हो जाएगी, जो कि आज किसी भी प्रकार उचित नहीं । इस सद्भावना का जारी रहना नितान्त आवश्यक है ।

मैं तो समझता हूं कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि चीन ने हम पर हमला किया । इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेसी सज्जन जो यह समझते थे कि चाहे दुनिया में कोई कुछ कहे हमको उसे नहीं सुनना है आज उनका दिमाग ठिकाने आगया और उनकी समझ में आ गया है कि देश को सेवा की दृष्टि से तैयार करना चाहिये। अगर इस परिस्थिति का निर्माण न होता तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डिफेंस के बड़े बड़े कारखानों में थरमस फ्लास्क के गिलास ही बनते रहते । ये सारी की सारी चीजें देश के दुर्भाग्य का चिह्न थीं । आज चीन के आक्रमण के कारण हमारे देश के लोगों को मजबूर होकर सोचना पड़ा है कि वस्तुस्थिति क्या है ।

सीज फायर के सम्बन्ध में में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूं । चीन ने सीज फायर का जो प्रस्ताव रखा है अभी तो वह आदरणीय प्रधान मन्त्री ने विचाराधीन है । एक ओर चीनी कह रहे हैं कि सन् १९५९ की रेखा मानी जाए और दूसरी ओर हम ८ सितम्बर, सन् १९६२ की बात कह रहे हैं । मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि प्रधान मन्त्री जी आठ सितम्बर की बात क्यों कह रहे हैं इसका कारण उन्होंने सदन में बताना उचित न समझा होगा । लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसके कारण आज देश में एक कनफ्यूजन फैल रहा है । एक ओर हमारी सरकार ८ सितम्बर की बात कह रही है और दूसरी ओर चीन सन् १९५९ की कह रहा है । इससे एक घपला पैदा हो गया है । अत: सरकार का यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह इस चीज को शीघ्र स्पष्ट करे क्योंकि जब पार्लियामेंट केप्सदस्यों को ही इसकी सही जानकारी न होगी तो और लोगों को कैसे हो सकती है । लिहाजा सही स्थिति देश के सामने होनी ही चाहिये ।

साथ ही मैं एक और बात कहना चाहता हूं । आज चीन ने आक्रमण करके हमारी आंखें खोली हैं । यदि कल को कल्पना कीजिए—यद्यपि मेरा विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा—कि चीन के साथ कोई पैक्ट हो जाए और लड़ाई शान्त हो जाए, तो इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिये कि हमारी सैनिक तैयारी रोक दी जाए । आज देश एक हो गया है, सारा देश आपके पीछे काम करना चाहता है । अगर आपने इस परिस्थिति का लाभ न उठाया तो यह देश के लिये बड़ा दुर्भाग्य होगा । अत: मैं इस सदन के द्वारा अपनी सरकार और देश को चेतावनी देना चाहता हूं कि देश के जितने भी घटक हैं और सरकारी यन्त्र के जितने भी अधिकारी हैं, उनका यह नैतिक कर्तव्य है कि वे इस परिस्थिति का लाभ उठाएं और सारे देश को तैयार करें ।

हमारे यहां जो विदेशी मिशन आया है उसका कहना है कि हमारे यहां बीस लाख मिलीटरी होनी चाहिये। मैं इसको काफी नहीं समझता। जब छोटा सा देश जर्मनी काफी बड़ी फौज रख सकता था तो हमारे इतने बड़े देश में एक करोड़ से कम फौज हरगिज नहीं होनी चाहिये। जब जरमनी जैसा छोटा देश ४० लाख फौज रख सकता है तो हमारा तो ४४ करोड़ का देश है। यहां एक करोड़ फौज होनी ही चाहिये। हां इस बात को मैं मानता हूं कि हमारे यहां २० लाख रेग्युलर फौज रहे और और उसके पीछे ८० लाख ऐसी सेना रहे जिसको जब काल किया जाए तो तैयार हो जाये। ऐसा करने से सरकार को खर्च भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। आज हमारे पास जितनी फौज है चीन के पास उससे बहुत ज्यादा है। इसलिये हमें अपने को उसके मुकाबले के योग्य बनाना चाहिये।

मैं एक चीज और आपके सामने रखना चाहता हूं। पाकिस्तान के अखबारों में जो समाचार छप रहे हैं और पाकिस्तान रेडियो से जो सूचनाएं दी जा रही हैं उनके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। आप पाकिस्तान के साथ चाहे किसी प्रकार का कम्प्रोमाइज करें, कैसी भी शान्ति की बातें करें, लेकिन हम देखते हैं कि जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ वह हमें बराबर चेतावनी देता रहा है कि तुम अपनी जगह पर सही नहीं हो और इसी कारण आज हमारी कमजोरी को देख कर वह काश्मीर को हथियाने के लिये, जो कि बिल्कुल हमारे देश का भाग है, दबाव डाल रहा है। मैं आपको यही बतलाना चाहता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : अभी मुझ को दस मिनट भी नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच मिनट दिया गया है।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : श्रीमती रेनुका रे २५ मिनट बोलीं.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है। अभी चार पांच सदस्यों को बोलना है।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : श्रीमती रेनुका रे २५ मिनट बोलीं और कांग्रेस के दूसरे सदस्य भी काफी समय तक बोले, अब मुझे आप केवल पांच मिनट देना चाहते हैं, आपने सब को दस दस मिनट दिये हैं। मुझे भी दस मिनट दीजिए। मैं ११ मिनट नहीं चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सम्भव नहीं। अध्यक्ष महोदय कह चुके हैं कि केवल पांच मिनट दिये जायेंगे।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : तो मैं यह कह रहा था कि अगर आपने पाकिस्तान के सम्बन्ध में ढिलाई की तो उसका सारे देश पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उस गलती का फिर देश को बोझा उठाना पड़ेगा। मैं यह महत्वपूर्ण बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। यहां बोलना कोई ऐसी बात नहीं कि हमें जरूर ही बोलना है लेकिन इस सम्बन्ध में हमारी जो विचारधारा है मैं समझता हूं कि इस हाउस को, उपाध्यक्ष महोदय को और जितने मंत्रीगण बैठे हैं उन्हें समझना चाहिये कि हमारे दिल में कोई बात है जिसके कारण हम बोल रहे हैं, महज़ बोलने का शौक है इसलिये नहीं बोल रहे हैं बल्कि हमारे पास जो कुछ चीजें हैं उन्हें हम हाउस के सामने रखना चाहते हैं और अगर उसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, आप समय नहीं देंगे तो यह बड़ा भारी हमारे पक्ष में अन्याय होगा।

आज के समाचारपत्र के अनुसार विदेश मन्त्रालय के एक प्रवक्ता ने यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने को सन्धि श्री नेहरू जी की ओर से अब भी यथापूर्व कायम है। उसे कभी वापस नहीं लिया गया। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस किस्म की बातों का पाकिस्तान पर कोई

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बिशनचन्द्र सेठ]

प्रभाव पड़ने वाला नहीं। पाकिस्तान की नेशनल पार्लियामेंट के अन्दर जिस प्रकार की स्पीचेज़ हुईं और जो जो चीजें उन्होंने कहीं अखबारों में छपी हैं उन्हें पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि आज वह लोग आग लगा रहे हैं तथा पाकिस्तान वाले मौक़ा देख रहे हैं कि किस तरीक़े से हम हिन्दुस्तान पर हमला करें। हमारी तरफ से अगर किसी तरह की ज़रा भी कमी या गफ़लत हुई तो हम एक नये खतरे को देश के सामने लाकर खड़ा कर देंगे ।

अन्त में मैं केवल एक बात बतलाना चाहता हूं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी की रीति नीति के बिल्कुल विरुद्ध हूं। मेरी बिल्कुल डेफिनिट राय है कि पार्टी को बैन करिये। आपने थोड़े से आदमी गिरफ्तार करके उन्हें इस बात के लिये प्रोत्साहित किया है कि वे अण्डरग्राउन्ड चले जायें और अधिक मात्रा में और तेज़ी से अपना काम करें। अगर उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आप को एक्चुएली बन्द करना है तो पार्टी को बैन करिये अन्यथा थोड़े आदमी गिरफ्तार करना लाभप्रद के बजाय हानिप्रद है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं।

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** (कछार) : मैं भारत प्रतिरक्षा विधेयक का स्वागत करती हूं। कुछ राष्ट्र विरोधी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वास्तव में उन्हें बहुत पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिये था। असम के एक भूतपूर्व विधायक ने भाषा आन्दोलन के समय कहा था कि वे बंगालियों की बजाय चीनियों को अधिक पसन्द करेंगे, किन्तु उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया।

मेरे राज्य में असैनिक रक्षा को अधिक सुदृढ़ बनाना चाहिये। तेजपुर को खाली करते समय वहां के ८०० कैदियों को रिहा कर दिया गया था। ऐसे खाली किये गये स्थानों की रक्षा का अधिक सुचारु प्रबन्ध होना चाहिये ।

प्रतिरक्षा के जो १०० करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई है वह पर्याप्त नहीं। जो धन एकत्र किया जा रहा है वह भी पर्याप्त नहीं होगा ।

रेडियो द्वारा ऐसा प्रचार होना चाहिये जिससे लोगों का साहस बना रहे और दफ्तरों का समय बढ़ा देना चाहिये ।

विधेयक का समर्थन करते हुए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें दी गई शक्तियों का सावधानी से प्रयोग करना चाहिये। सीमा प्रान्त को पहले ही बहुत विपत्तियों का सामना करना पड़ा है। अब ऐसा प्रयत्न होना चाहिये कि वहां के लोग विपत्ति से बच सकें।

श्री ब्रज राज सिंह (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, डिफेंस आफ इंडिया बिल पर कुछ बोलने से पहले मैं यह उचित समझूंगा कि जो हमारे जवान अपनी जानों की कुर्बानी दे चुके हैं, देश की रक्षा के लिये जिन्होंने अपने प्राणों की बलि चढ़ाई है उनके लिये मैं अपनी श्रद्धांजलि पेश करुं और जो जवान अपनी जान की बाज़ी लगा कर मोर्चों पर लड़ रहे हैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा से मैं अपना मस्तक झुका दूं ।

मैं इस सदन के सामने बिल्कुल साफ कर दूं कि मैं और मेरी पार्टी इस बिल के लिये पूर्ण सहयोग और समर्थन दे रही है.....

एक माननीय सदस्य : कौन पार्टी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अज राज सिंह : जनसंघ । मेरी पार्टी इस राष्ट्रीय संकट के अवसर पर सहयोग और समर्थन का सबूत दे चुकी है ।

यू० पी० लैण्ड टैक्स बिल जो कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में चल रहा था और जिसका बड़ा भयंकर विरोध मेरी पार्टी कर रही थी, राष्ट्रीय संकट को ध्यान में रखते हुए, हमने अपने उस आन्दोलन को वापिस लेने में ज़रा भी आनाकानी नहीं की । हमने सरकार विरोधी आन्दोलन केवल वापिस ही नहीं लिया अपितु गवर्नमेंट को पूर्ण सहयोग और समर्थन देने का वायदा भी किया ।

मैं नहीं समझ सकता कि जब हम सरकार को अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग देने की बात कह चुके हैं तो कुछ अधिक इस बिल के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती जाती है । फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बिल जिस सूरत में लाया गया है, वह कोई बहुत बड़ी प्रसन्नता या खुशी की स्थिति नहीं है, बल्कि एक बड़ी मजबूरी की वजह से, देश पर हुए चीनी आक्रमण के कारण, इस बिल को लाना पड़ा है ।

इसके लाने से जनता के मौलिक अधिकारो को थोड़ा धक्का लगता ही है, लेकिन उसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में उस धक्के से बचा नहीं जा सकता है । मैं यह निवेदन करूंगा कि मौलिक अधिकार देश की सुरक्षा और आजादी से कभी भी आगे नहीं जाते हैं । यदि हमारे देश की आजादी रही, तो हमें अपने मौलिक अधिकार फिर से प्राप्त हो सकेंगे और वे हमेशा हमें प्राप्त रहेंगे । इसलिये उनके सम्बन्ध में परेशान होने की कोई ज़रुरत नहीं है । इस बिल में कहीं भी अपना शरीर और खून देने की बात नहीं आई है । इस कानून के द्वारा कहीं भी भरती की व्यवस्था नहीं की गई है और लोगों से शरीर और खून नहीं मांगा गया है । अपने शरीर और खून की हिफ़ाज़त करने से बड़ा मौलिक अधिकार कोई नहीं है, लेकिन आज देश के कोने कोने में जनता अपना शरीर और खून देश की रक्षा के लिये अर्पित करने के लिये तैयार है । मैं नहीं समझता कि मौलिक अधिकारों को धक्का लगने की कोई शिकायत हमारी जनता को है ।

जनसंघ के बारे में आज तक केवल एक ही शिकायत सुनने को मिलती थी —और हमारे प्रधान मन्त्री जी ने भी कभी कभी कहा—कि ये लोग बड़े जंगजू हैं और ये बड़े जंगजुआना तरीके से सोचते और काम करते हैं । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारी सरकार ने यह मान लिया है कि जंगजू होना ही आवश्यक है । जिस शान्ति की स्थापना के लिये आज हमने इतना बड़ा खतरा मोल लिया है, उस शान्ति को कायम रखने के लिये भी जंगजू होना कितना आवश्यक है, यह बात स्वेज़ और क्यूबा के झगड़े से काफी हद तक साफ हो चुकी थी । जैसा कि हमारे प्रधान मन्त्री जी ने कहा है, हम लोग एक प्रकार की निद्रा में पड़ गए थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये हम जागरुक हो गए हैं । यदि हम लोग वास्तव में जागरुक हो गए हैं और हमने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर ली है, तो जिस प्रकार प्रधान मन्त्री जी ने चीन के हमले का स्वागत किया है और उसका शुक्रिया अदा किया है, वसा ही करने के लिये मैं भी तयार हूं । लेकिन हमें देखना है कि क्या वाकई हमने अपनी आंखें खोल ली हैं और अपने दोस्त और दुश्मन को परख लिया है ।

हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने अभी एक रेज़ोल्यूशन पास कर दिया कि चीन के हमले का मुकाबला करने में हम सरकार के साथ हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी पेयरेन्ट आइडियालोजी तो पीकिंग में बैठी हुई है । उनके शरीर और वचन यहां हैं, लेकिन उनके मन और प्राण पीकिंग में हैं ।

कांग्रेस की एक सदस्या, श्रीमती सुभद्रा जोशी ने उस रोज़ बड़े गर्व से कहा कि हां, मैं कम्युनिस्ट की पत्नी हूं । लोगों को ताज्जुब भी हुआ । और बड़े गर्व से उन्होंने कहा । ठीक है, एक भारतीय

[श्री ब्रजराज सिंह]

ललना के लिये अपने पति के विचारों के साथ गर्व के साथ होना एक गौरव की बात है और उनका गर्व बेतुका नहीं था ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : विचारों के साथ होने की बात उन्होंने नहीं कही ।

श्री ब्रज राज सिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने यह कहा । मैं यह कह रहा हूं कि यह गौरव की बात हैं कि वह अपने पति के विचारों के साथ रहें । लेकिन उनके लिये भी दुविधा है । उनका तन और वचन तो इधर मौजूद हैं, पर उनका मन और प्राण अपने पति की पार्टी के साथ हैं । उनके लिये एक मजबूरी है । वह एक भारतीय ललना हैं । वह कहां तक पति के साथ द्वेष कर सकती हैं और कहां तक उनसे अलग रह सकती हैं ।

सरकार ने बार-बार आश्वासन दिलाया है कि अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उनकी आंखें इस हद तक खुल चुकी हैं कि वे अपनी आस्तीन में एक बार झांक कर देखें कि वहां पर सांप पनप रहा या मुर्दा पड़ा है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि ए० आई० सी० सी० ने एक सर्कुलर निकाला, जिसमें स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ को बड़ी शंका की निगाहों से देखा गया है । इसके साथ ही उसमें यह भी कहा गया कि चूंकि ये पार्टियां प्रधान मन्त्री के बारे में बोलती हैं, इसलिये उनकी निगरानी रखनी चाहिए.....

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : उसमें कहा गया है कि वे ग़द्दार हैं, ट्रेटर्ज़ हैं ।

श्री ब्रज राज सिंह :.....और जो प्रधान मंत्री जी के विरोध में बोलते हैं वे ग़द्दार हैं ।

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : "ग़द्दार" नहीं कहा ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : "ग़द्दार" क्या, उन्होंने "ट्रेटर" वर्ड यूज़ किया, जो कि "ग़द्दार" से भी बढ़ कर है ।

श्री ब्रज राज सिंह : मैं जानता हूं कि कुछ लोगों के ये वचन मात्र कि हम आपके साथ हैं, उनकी वफ़ादारी का सुबूत मान लिये गये, लेकिन चूंकि हम वचनों से उनको प्रसन्नता नहीं दे सकते, इसलिये हमारे प्राणों की आहुति देने के बाद भी हमारी वफ़ादारी का सुबूत नहीं मिलता । मैं प्रधान मन्त्री जी से यह नम्र निवेदन करूंगा कि यह उनकी शख़सियत पर लाई गई बात है, इसलिये चाहे वह अपनी पार्टी से पृथक् हों, वह अपनी पार्टी के अधिकारी न हों और चाहे पहले उन को उस सर्कुलर के बारे में कुछ पता न रहा हो, वह इस बारे में एक स्टेटमेंट दें और बतायें कि क्या वह इस बात से बड़े प्रसन्न हैं कि उनके बारे में उनकी पार्टी कहे कि जो लोग उनके बारे में टीका-टिप्पणी करें वे ग़द्दार हैं और उनको ग़द्दार की संज्ञा दी जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं और बड़े विश्वास के साथ यह कहने के लिए तयार हूं कि जब तक हम चीन से अपनी एक एक इंच भूमि ख़ाली नहीं करा लेंगे, तब तक हम शांत नहीं बठेंगे और अन्त में विजय हमारी ही होगी, क्योंकि हम सच्चाई पर चल रहे हैं ।

†**श्री फ० गो० सेन** (पूर्निया) : मैं देश के लिये प्राण उत्सर्ग करने वाले और युद्ध में जख्मी होने वाले सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विकट परिस्थिति में भारत प्रतिरक्षा विधेयक की अत्याधिक आवश्यकता है। पिछड़े हुए देश में चीन सब से अधिक सभ्य है। लोगों को आश्चर्य है कि चीन ने २,५०० मील लम्बी सीमा पर युद्ध छेड़ा है। यदि चीन भारत को मित्र नहीं बना सकता तो वह किसी साम्यवादी देश को भी मित्र नहीं बना सकेगा।

साम्यवादी दल ने चीन के आक्रमण के सम्बन्ध में दो संकल्प पारित किये हैं संभवतः एक दल के लिये है और दूसरा जनता के लिये।

मैं विधेयक का पूरे दिल से स्वागत करता हूं।

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : मैं इस प्रतिरक्षा विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बेशक चीन ने सीज फायर कर दिया है, युद्ध विराम कर दिया है फिर भी मैं समझता हूं कि हम को किसी भी प्रकार से युद्ध प्रयासों में ढिलाई नहीं करनी चाहिये।

दुश्मन के बारे में जो हमारे पूर्वजों की राय है, उस को मैं आप को बतलाना चाहता हूं। उन का कहना था कि दुश्मन के दुश्मन को हमें दोस्त बनाना चाहिये। हम नहीं चाहते हैं कि लड़ाई हो, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी तरफ से लड़ाई की पहल हो लेकिन जब दुश्मन हमारे सिर पर चढ़ आता है तो हमारे सामने इस के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है कि हम उस का मुकाबला करें।

उन्होंने युद्ध समाप्त किया है। इस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि दुश्मन की कृपा बुरी होती है: कहा गया है:

दुश्मन की कृपा बुरी, भली सज्जन की तास
बादल कर गर्मी करें जब बरसन की आस।

दुश्मन ने हम पर जो कृपा की है, उस को हमें कृपा नहीं मानना चाहिये बल्कि अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिये।

चीन के सम्बन्ध में मेरी स्पष्ट राय यह है:

चीन के सुमरन माला हाथ कतरनी है खाक में,
उस की आग बुझी है नाय दबी है राख में।
अब वह चलता है पीछे जाय बोल है मोर के,
चीनी दीखत का है सन्त लक्षण हैं चोर के॥

जिस भारत ने चीन को अपनी गोद में ले कर दुनिया में घुमाया है, जिस चीन को भारत ने यू० एन० ओ० में उस का उपयुक्त स्थान दिलाने का प्रयत्न किया है, वही चीन आज यह कहता है कि उस ने नेहरू की नाक काट ली है। मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि चीन आखिर आस्तीन का सांप निकला है।

सांपा केड़ो स्नेह, ठगों की सी मित्राई,
वैश्या किस की बहन और भूप किस का भाई।

उपाध्यक्ष महोदय, जब पहले सीमा स्थिति के बारे में यहां पर प्रस्ताव उपस्थित हुआ था तब मुझे बोलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन अब जब कि डिफेंस आफ इंडिया बिल पर बहस

[श्री प० ला० बारुपाल]

चल रही है, मैं अपने कुछ विचार चीन के बारे में आप के सामने रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि वही पुरानी कहावत चरितार्थ है :—

नीच पर उपकार-कोप हेतु नहीं शांति
जो सर्पों पे पान केवल विष की धाति ।

जिस प्रकार सांप को दूध पिलाया गया तो उस ने वही किया जो कि एक नीच पर उपकार किया जाता है। उस को दूध पिलाने से उस का जहर ही बढ़ा और कुछ नहीं हुआ।

कम्युनिस्ट भाइयों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन का वही हाल है जिस तरह से कहा जाता है कि फूफे को मरता देख कर बुआ का मन मौत से फट गया वे अब हमारा साथ देने लगे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल के जरिये हम उन प्रतिक्रियावादी तत्वों के ऊपर और देश के दुश्मनों के ऊपर, और विशेषकर उन के ऊपर जिन्होंने गत वर्ष हड़तालें कराई और जो हड़तालें कराते रहते हैं या हड़तालों का समर्थन करते रहते हैं, कड़ी नजर रखें।

मैं समझता हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। दुनिया उन को ही मानती है जिन के बाजुओं में जोर है। एक पंजाबी कहावत है, जो मैं आप के सामने रखना चाहता हूं :

दुनिया मनदी जोरानूं
धमकांदे हैं, कमजोरां नूं
यह जीभ दंदां विच रेंदी है
वह हिल्दे दन्द नूं खांदी है।

हमें चाहिये कि हम भी अपनी ताकत बढ़ायें। ऐसा होना भी चाहिये। और इस में कोई शक वाली बात नहीं। कमजोर की बात कोई नहीं सुनता है।

राजनीति की यह मान्यता है :

गुण्डा गंडक गंवार
पुचकारियों वाश्चे पड़े,
कुटया देवे काम,
शीश न कीजिये राजिया।

जो गुण्डे हैं, उन का सिर कुचल दिया जाना चाहिये और ऐसा करने में हमें कोई कसर उठा नहीं रखनी चाहिये। आज चीन कहता है कि नेहरू की नाक कट गई है। मैं और एक दूसरा ही उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं। एक चतुर पक्षी को किसी ने कहा कि मैं तुझे तलवार से मार दूंगा। पक्षी बोला, तुम मुझे तवलार से नहीं मार सकते। उस ने तलवार का नाम ले कर तीर चलाया और उस की हत्या कर दी। जब वह मरने लगा तो बोला :

वचन मरा, वह नर मरा,
पक्षी मरा न जान,
नाम लिया शमशेर का
खींचा तीर कामन।

मैं चाऊ को चेतावनी देना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि वह इस भारत को किसी प्रकार भी कमजोर न समझे। यह न समझे कि भारत मरा हुआ देश है। मैं कहना चाहता हूं :

चीन मरा चाऊ मरा
भारत मरा न जान
मित्रता की आड़ में
युद्ध छेड़ा शमशान ।

उस ने हमारी पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश की है। उस को समझ लेना चाहिये कि इस देश के निवासी उस से किसी बात में कम नहीं हैं। अगर कम हैं तो बदनामी में हम उस से डरने वाले नहीं हैं, पीठ दिखा कर भागने वाले नहीं हैं। हम में सामर्थ्य है, कि चीन का मुकाबला कर सकें।

जहां हमें चीन का मुकाबला करने को तैयार रहना है और अपनी ताकत को बढ़ाना है, वहां मैं एक और बात की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। दूसरे देशों के साथ हमारी जो सीमायें लगती हैं, उन की तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। राजस्थान के साथ साथ जो १४००मील का बोरडर लगता है, उस की तरफ से भी आप को सतर्क रहना होगा। साथ ही साथ इस संकटकालीन समय में हम को सहकारिता खेती पर ज्यादा जोर देना होगा और अपनी पैदावार को बढ़ाना होगा। ज्यादा से ज्यादा साधन हम को सहकारी खेती के लिये जुटाने होंगे।

इस के साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस संकटकालीन स्थिति में आप को राजस्थान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। वहां पर भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि बोर्डर पर आप को फौजें और तैनात करनी पड़े। अगर वहां पर फौजें तैनात करनी पड़ी तो आप को मालूम ही है कि वहां पर बेस से ४५० फुट नीचे जमीन के पानी मिलता है और वह भी खारा है। वहां पर अगर जवानों को जाना पड़े तो उन को पानी की बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उन को पानी भी नहीं मिलेगा। इसवास्ते उस एरिया के अन्दर ज्यादा से ज्यादा पानी के टैंक का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में, बीकानेर में एक विलेज नाल है और वहां पर नाल, एयरोड्रोम है। अगर कल को इस एयरोड्रोम की आप को जरूरत पड़ती है किसी काम के लिये, तो उस के लिये यह जरूरी है कि आप आज ही उस को मजबूत कर दें। इसवास्ते अब जो समय आपके पास है उस में आप को इस एरोड्रोम को मजबूत कर देना चाहिये। इस तरह की जो तैयारियां हैं, ये हमें पहले से ही कर लेनी चाहियें।

मैं कुछ और सुझाव भी आप के द्वारा सरकार के सामने रखना चाहता था, लेकिन चूंकि समय, नहीं है, इसवास्ते नहीं रख सकता हूं। जो कुछ मैं ने निवेदन किया है, उस पर सरकार ध्यान देगी ऐसा मेरा विश्वास है।

इन शब्दों के साथ यह जो विधयक यहां उपस्थित किया गया है, इस का मैं हार्दिक स्वागत और समर्थन करता हूं।

†**श्री अ० कु० सेन** : वाद-विवाद का उत्तर देते हुए मेरा कर्तव्य है कि विधेयक को एकमत होकर जो समर्थन दिया गया है उस के लिय सरकार की ओर से आभार प्रकट करूं। यह केवल एक विशेष विधान के लिये समर्थन मात्र नहीं है प्रत्युत इस सभा द्वारा देश के अधिकतम प्रयत्नों को कार्य में लगाने और सरकार को अधिकतम अधिकार देने का दृढ़ निश्चय है जो यहां अभिव्यक्त हुआ है और जिस का अधिक महत्व है। इस का एक ही उद्देश्य है कि हम शत्रु को हराना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

यह अत्यन्त खेद की बात है कि इस पूर्ण समर्थन में केवल प्रोफैसर मुकर्जी कॉ एक आवाज विधान के विरुद्ध रही है। कोई सदस्य अपने भ्रमों को व्यक्त करे उस की तो कोई बात नहीं, किन्तु मैं यह नहीं समझ सका कि जो विधान इन अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में बहुत आवश्यक है उस के लिये ऐसी असंगत भाषा क्यों प्रयुक्त की गई है। प्रोफैसर मुकर्जी ने कहा कि हमारी सरकार को ब्रिटेन की नौकरशाही से जो कटौती मिली है, यह विधेयक उसी का परिणाम है। ब्रिटिश के भारत प्रतिरक्षा अधिनियम का ही वह प्रतिरूप है। उन की इस असंगत भाषा के लिये मुझे अत्यन्त खेद है। उन्होंने यह भी कहा कि इस से जनता के प्रति अविश्वास प्रकट होता है और यह लोकतन्त्र की भावना के सर्वथा विपरीत है। फिर उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा इसलिये कर रही है कि इस में कल्पना का अभाव है और उसे ब्रिटेन की बपौती प्राप्त है। फिर उन्होंने पिछले दिन हुई गिरफ्तारियों की ओर निर्देश किया। शायद उसी के कारण वे भाषा का संयम खो बैठे हैं।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्ली) : उन्होंने केवल यह कहा था कि सावधान रहना चाहिये जिस से नौकरशाही शक्तियों का दुरुपयोग न करे। उन्होंने मंत्री पर आरोप नहीं लगाया।

†**श्री अ० कु० सेन** : इसीलिये तो मैं ने उन की भाषा के उद्धरण दिये हैं। उन्होंने सरकार के सत्याचरण पर ही आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार राजशाही है और लोगों के अधिकारों को कुचल रही है। उन्होंने कहा है "मैं चाहता हूं कि सरकार देश की प्रतिरक्षा के काम में लगे और देश सरकार को अत्याधिक उत्साह प्रदान करेगा। मैं शक्ति का दुरुपयोग नहीं देखना चाहता किन्तु सरकार ने अपने पूर्व कार्यों में ही शक्ति का दुरुपयोग किया है।"

उन का अभिप्राय गिरफ्तारियों से था। उन के आरोपों का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है इसीलिये उन के उद्धरण दे कर सभा का समय नष्ट करने की धृष्टता की है ताकि कोई यह न कहे कि मैं जो कुछ कहता हूं वह कथन से प्रभावित नहीं होता। यदि उन के आरोपों को संक्षेप में कहा जाये तो सरकार को ब्रिटिश शासन की बपौती प्राप्त है, विधेयक में जनता की भावनाओं की उपेक्षा और जनता के प्रति अविश्वास प्रकट किया गया है विधेयक लोकतन्त्रात्मक जीवन में बाधा पैदा करता ही है। मैं नहीं समझता कि ऐसे तर्क देते हुए उन्होंने बुद्धि पर बल दिया है और किसी समय युक्ति और भाषा का प्रयोग किया है। जब वे बोल रहे थे तो मैं अनुभव कर रहा था कि शब्द बुद्धि का स्थान ले सकते हैं और उनका विचार था कि शब्दों से ही तर्क का काम चल जायेगा।

कई वर्ष पूर्व १९५१ में प्रो० मुकर्जी ने "इंडिया टु डे" नामक पुस्तक में सन यत सेन और चीन के बारे में लिखा था कि उस सन यत सेन की तुलना में महात्मा गांधी की सफलता एक अध्यापक की तुलना में बच्चे की सफलता के समान है और श्री नेहरु लोगों को पथभ्रष्ट करने की पुरानी नीति पर चल रहे हैं जब कि चीन के प्रगतिशील नेता क्रांति की पूर्ति कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि भारत में हम बिना दृष्टि, समझ और साहस के नाक की सीध में चले जा रहे हैं किन्तु क्योंकि चीन सप्राण हो गया है हमें देर तक कीचड़ में ग्रस्त नहीं रहना चाहिये। उन का यह भाषण उन की १९५१ की रचना का ही अवशेष है। इसीलिये वे कहते हैं कि हम लोगों के अधिकारों को कुचल रहे हैं। मैं कहता हूं कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र के विश्वास का इस से बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि देश के निर्वाचित संसद् ने स्वीकृति से सरकार को असाधारण अधिकार सौंप दिये हैं। यह कहने का कोई काम नहीं कि हम ने इंगलैंड के विधान का नमूना अपनाया है क्योंकि यहां भी

---

†मूल अंग्रेजी में

संसद् द्वारा एक ही पद्धति अपनायी जाती है। अतः हमें निर्वाचित संसद् से ही कानूनी अधिकार मांगना है और यहां कभी ऐसी सरकार नहीं होगी जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग करे जो संसद् ने न दिये हों। उन की आलोचना का यही उत्तर है। हम और कौन सा नमूना अपनायें यदि ब्रिटेन का नहीं। (एक सदस्यः चीन का)। संभवतः और कहीं भी विरोधी दल खुल्लम खुल्ला सरकार के विधान की आलोचना हीं कर सकता। भाषा में अंग्रेजी का ही प्रयोग हुआ है जो अभी प्रयुक्त होती रहेगी और मैं समझता कि प्रोफसर मुकर्जी को उस पर तो कोई आपत्ति नहीं होगी। यह कोई तर्क नहीं है कि यह विधेयक ब्रिटिश विधान का प्रतिरुप है। यह भी तो कहा जा सकता है कि बांया ब्रिटिश का नमूना है क्योंकि संयोगवश वहां संसद् का विरोधी दल बांई ओर बैठा करता था। कुछ निश्चित नियम और पद्धतियां हैं जो संसदीय सरकार में अपनानी पड़ती हैं। उन में से एक नियम तो यह है कि कार्यपालिका कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती जिसे संसद् द्वारा पारित विधि की सहायता न मिले। अतः हर बार यह सरकार संसद् से अधिकाधिक अधिकार मांगेंगी और जब संसद् अधिकार देने के लिये तैयार न होगी तो सरकार समाप्त हो जायेगी और जब तक अन्य अभिकरण हमारी पद्धति को समाप्त न कर दें हम इसी नियम का पालन करते रहेंगे।

उन्होंने अपने भाषण में कांट का उल्लेख किया है, मेरे विचार से इस संबंध में यह संगत नहीं है। इन्होंने कहा है कि यह निष्काम नियोग होगा कि प्रधान मंत्री को पूरा समर्थन दिया जाये। यही बात सरल शब्दों में कही जा सकती थी। इस के पश्चात् उन्होंने गिरफ्तारियों का उल्लेख किया है तथा कहा है कि एक सच्चा साम्यवादी इस संकल्प की उपेक्षा नहीं कर सकता है। उसे इस संकल्प को क्रियान्वित करना होगा।

वस्तुतः संकल्प में केवल वही बात कही गई है जो कि एक भारतीय को कहनी चाहिये थी। मेरे विचार से अपील का यह अधिक अच्छा रुप होता कि हमें यदि यह कहा जाता कि हमें साम्यवादी दल के सदस्य के रुप में नहीं अपितु एक विशाल राष्ट्र के नागरिक के रुप में हमें अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करनी चाहिये।

यह आरोप लगाया गया है कि यह सब साम्यवादी दल पर आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि साम्यवाद दल के संकल्प के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में ऐसे भी सदस्य हैं जो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं।

अभी कुछ दिन पूर्व एक संकल्प पश्चिमी बंगाल की विधान सभा में रखा गया था। मतदान के समय मुख्य मंत्री ने यह कहा कि इसे सर्व सम्मति से पारित किया जाये तथापि इसी दल का एक सदस्य उस समय विधान सभा से उठ कर बाहर चला गया और उस ने मतदान देना ठीक नहीं समझा। यह सदस्य बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

ऐसे भी कई सदस्य थे जिन्हों ने चीनी दृष्टिकोण का समर्थन किया तथा जो जनमत को चीन के समर्थन में करने का प्रयत्न कर रहे थे। हम ऐसे व्यक्तियों अथवा दलों के विरुद्ध आंखें नहीं बंद कर सकते हैं जो खुले आम अथवा छिपे तौर पर देश की सुरक्षा पर आघात कर रहे हैं। इन बातों से न केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही होता है अपितु कई अन्य कार्यवाहियां खुले आम की जा रही हैं। अतः कोई भी सरकार संकट के समय ऐसी कार्यवाहियों को बरदाश्त नहीं कर सकती है। केवल संकल्प पारित करने मात्र से कुछ नहीं होता है इस से वर्षों की साम्यवादी शिक्षा दीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है। यह एक सामान्य सिद्धान्त है।

मैं साम्यवादी दल के उन सदस्यों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने देश के साथ अपनी एकता प्रकट करने का साहस किया है। तथा जिन्हों ने भारत के पक्ष का समर्थन किया है। तथापि

[श्री अ० कु० सेन]

मेरे विचार से वे सभी सदस्यों को अपने साथ नहीं मिला पाये हैं। अतः सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह निवारक निरोध के उपबन्धों का आश्रय लेवे। दुर्भाग्य से ऐसे संकटकाल तथा कभी कभी शांति के समय यह आवश्यक हो जाता है कि इन उपबन्धों का प्रयोग किया जाये।

आवश्यकता केवल इस बात की है कि इन उपबन्धों के प्रयोग में पूरी सतर्कता बरती जाये। खंड ४४ में इस संबंध में जो कुछ भी कहा गया है उस का सारांश यह है कि कोई भी व्यक्ति अथवा अधिकारी जो कि इन शक्तियों का प्रयोग करेगा वह इस संबंध में अत्याधिक सतर्कता बरतेगा और केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि इस विधेयक को अमल में लाने के लिये आवश्यक होंगी।

यदि कोई अधिकारी इन अधिकारों को इस प्रयोग के अतिरिक्त प्रयोग करेगा तो उस के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे निर्णय पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार भी हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकारें तथा केन्द्र की सरकारें ऐसे व्यक्तियों को उचित दंड देंगी।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अगला प्रश्न विशेष न्यायाधिकरणों तथा उन में की जाने वाली अपीलों का है। कई सदस्यों ने मुझे यह बताया है कि इस संबंध में विधि का उचित प्रयोग न होने, क्षेत्राधिकार न होने तथा क्षेत्राधिकार पर हस्तक्षेप किये जाने के बारे में पुनर्विचार करना चाहिये। हम ने उन सभी मामलों में अपील करने का अधिकार दिया है जिन में पांच वर्ष से अधिक की सजा दी गयी हो। अन्य मामलों के लिये अपील की व्यवस्था इस कारण नहीं की गई है कि विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना तभी की जायेगी जब किसी विशेष भाग में व्यवस्था बहुत ही खराब हो जायेगी और वहां न्याय के प्रतिपादन के लिये विशेष न्यायाधिकरणों की आवश्यकता होगी; क्योंकि यदि एक मामला वर्षों तक न्यायालय में पड़ा रहेगा तो सारा प्रयोजन ही असफल हो जायेगा। मैं ने इस संबंध में काफी सोचा है तथा मेरा मत है कि पुनर्विचार न किये जाने पर भी दो उपचार किये जा सकते हैं। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि भविष्य में विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना की आवश्यकता भी हुई और उन के सम्मुख अन्याय अथवा अनुचित हस्तक्षेप के मामले लिये जायेंगे तो हम देखेंगे कि इस का शीघ्रातिशीघ्र उपचार किया जाये। हम ने इन न्यायाधिकरणों के लिये तीन न्यायाधीश नियुक्त करने का फैसला किया है जिस से गलती की संभावना न रहे। तथा वहां बहुमत से ही निर्णय किया जायेगा। कुछ सख्त मामलों के लिये हम ने अपील का भी उपबन्ध किया है। तथापि यदि हर मामले में ही पुनः विचार का उपबन्ध किया तो सारा प्रयोजन ही असफल हो जायेगा। इन विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना करने की आवश्यकता इसी कारण हुई है कि हमारे सामान्य न्यायालय काम को उचित ढंग से नहीं कर सकेंगे।

जैसा कि मैं ने कहा था इस के दो उपचार हैं पहिला यह कि कार्यकारिणी द्वारा अमल में लाना और दूसरा उच्चतम न्यायालय संविधान के १३६वें अनुच्छेद के अधीन अपील करने की अनुमति भी दे सकता है। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार हमेशा बना रहेगा। तथापि यदि ऐसे कई मामले होंगे और सरकार को यह आभास होगा कि अन्याय की गुंजाइश है तो सरकार तदनुसार कार्य करेगी।

जहां तक नजरबन्दों के लिये परामर्शदात्र के बोर्डों का ताल्लुक है वे केवल शांति काल के लिये हैं। माननीय सदस्य को यह नहीं भूलना चाहिये कि वे शत्रु हमारे मैदानी क्षेत्र में बहुत निकट पहुंच गया था. वह हमारे क्षेत्र में १५० मील के अन्दर घुस आया था। अतः यह कहना कि सभी समाज विरोधी तत्वों को बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये, वास्तविकता की अनदेखी करना था। आपातकाल के समय

अधिकारियों को मौके पर तुरन्त कार्यवाही करनी होती है। उस समय इन बोर्डों का सहारा नहीं लिया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि जनता की सुरक्षा तथा हित, भारत की प्रतिरक्षा और नागरिक प्रतिरक्षा को सुनिश्चित करने तथा कुछ अपराधों पर मुकदमे चलाने के लिये विशेष उपायों तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब विधेयक पर खंड वार विचार आरम्भ करेगी ।

खंड २--(परिभाषा)

†**श्री बातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ३, पंक्ति ६ से ८ में से

"or administered by or for the time being in the occupation of"

['अथवा प्रशासित होता हो अथवा तत्समय के लिये अधिकार में हों" ।]

शब्द **हटा दिये** जायें । (१०१)

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति १५ के **पश्चात्** निम्न शब्द **रख दिये** जायें :

"(ee) 'occupied territory' means any territory of India which is for the time being in the occupation of a country referred to in sub-clause (i) or a country referred to in sub-clause (iii), of clause (c) of this section;".

(ङङ)" 'आक्रांत प्रदेश' से तात्पर्य भारत के उस प्रदेश से है जो कि तत्समय ऐसे देश के अधिकार में है जिस का उल्लेख उपखंड (१) में अथवा इस धारा के खंड (ग) के उपखंड ३ में किया गया है।") (१०२)

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं संशोधन संख्या १३७ प्रस्तुत करता हूं। मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि "देश" के स्थान पर "राज्य" शब्द रख दिया जाये ।

†**श्री बातार** : यहां देश शब्द सामान्य और प्रसिद्ध अर्थों में प्रयोग किया गया है। यदि हम यहां राज्य शब्द का व्यवहार करें तो उस से अर्थ के सीमित हो जाने की संभावनायें हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ ३, पंक्ति ६ से ८ में से "or administered by or for the time being in the occupation of" (अथवा प्रशासित होता हो, अथवा तत्समय के लिये अधिकार में हों) शब्द हटा दिये जायें। (१०१)

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति १५ के **पश्चात्** निम्न शब्द **रख दिये** जायें :

"(ee) 'occupied territory' means any territory of India which is for the time being in the occupation of a country referred to in sub-cluse (i) or a country referred to in sub-clause (iii), of clause (c) of this section".

["(ङङ) 'आक्रांत प्रदेश' से तात्पर्य भारत के इस प्रदेश से है जो कि तत्समय ऐसे देश के अधिकार में है जिसका उल्लेख उपखंड (१) में अथवा इस धारा के खंड (ग) के उपखंड ३ में किया गया है"] । (१०२)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ :

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३ (नियम बनाने की शक्ति)

†श्री दातार : इस खंड के संबंध में मैं श्री हरि विष्णु कामत का संशोधन संख्या १३८ स्वीकार कर रहा हूं । तत्पश्चात् मैं सरकार की ओर से संशोधन संख्या १०३ प्रस्तुत करुंगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४, पंक्ति २० में—

(१) "Enemy Territory" (शत्रु प्रदेश) के पश्चात् "or occupied territory (आक्रांत प्रदेश) शब्द रख दिये जायें । (१०३)

(२) पृष्ठ ५, पंक्ति २४ में से "false" ("झूठ") शब्द हटा दिया जाये (१०४)

†श्री हरि विष्णु कामत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४, पंक्ति २४ में,

"purpose ("प्रयोजन") शब्द के पश्चात् " , " रख दिया जाये । (१३६)

†श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ पंक्ति ३१ से ३६ के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायें

"(7) (a) prohibiting the printing or publishing of any newspaper, news-sheet, book or other document containing matters prejudicial to the defence of India and civil defence, the public safety, the maintenance of public order, the efficient conduct of military operations or the maintenances of supplies and services essential to the life of the community ;

(b) demanding security from any press used for the purpose of printing or publishing, and forfeiting the copies of, any newspaper, news-sheet, book or other document containing any of the matters referred to in sub-clause (a) ;

(c) forfeiture of such security and the circumstances in which and the authority by whom such forfeiture may be ordered;

(d) closing down any press or any premises used for the purpose of printing or publishing any newspaper, news-sheet, book or other document containing any of the matters referred to in sub-clause (a) inspite of the forfeiture of

†मूल अंग्रेजी में

["(७) (क) ऐसे किसी अखबार, समाचार पत्र, पुस्तिका तथा अन्य मसविदे, जिस में भारत की सुरक्षा, नागरिक रक्षा, लोक रक्षा, व्यवस्था को बनाये रखना, सैनिक कार्य तथा समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक संभरण और सेवाओं के संधारण को हानि पहुंचाने वाली बातें हों, उन के प्रकाशन अथवा मुद्रण पर प्रतिबन्ध,

(ख) ऐसे किसी प्रेस से जमानत की मांग करना जिस का उपयोग मुद्रण तथा प्रकाशन के लिये किया गया हो। तथा ऐसे अखबार, समाचार पत्र, पुस्तिका तथा अन्य मसविदों की प्रतियों को जब्त करना जिन में उपखंड (क) में उल्लिखित बातों का प्रकाशन किया गया हो,

(ग) ऐसी जमानत का जब्त करना तथा वे स्थितियां अथवा वह अधिकारी जिस के द्वारा जब्ती का आदेश दिया गया हो,

(घ) ऐसी किसी जमानत के जब्त कर लेने के बावजूद भी, ऐसे प्रेस अथवा अहाते का बन्द करना, जिस का उपयोग ऐसे अखबार, समाचार पत्र, पुस्तिका या अन्य मसविदों के मुद्रण अथवा प्रकाशन में किया गया हो, जिन का उल्लेख उपखंड (क) में किया गया है।"] (१०५)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४ "पंक्ति ७" **में**—

"entering" ("प्रवेश करने") के पश्चात् " , " रख दिया गया जाये । (१३८)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं संशोधन संख्या १४० प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ६, पंक्ति ११,

"As the case may be" ("जैसा भी मामला हो") शब्दों के **स्थान** पर यह **शब्द रख दियें जायें**" ..

"the authority empowered to detain not being lower in rank than of a District Magistrate."

"[हिरासत में बन्द करने का आदेश देने वाला अधिकारी पद में जिला मजिस्ट्रेट से छोटा नहीं होगा ।") (१०६)

पृष्ठ ६, पंक्ति २४ में से "and" (और) शब्द हटा दिया जायें (१०७)

पृष्ठ ६, पंक्ति २६ के पश्चात् यह शब्द रख दिये जायें ।

"(iv) the review of orders of detention passed in persuance of any rule made under sub-clause (i)"

["(४) उपखंड १ के अधीन बनाये गये किसी नियम के अनुसरण में नजरबन्दी के लिये दिये गये आदेशों पर पुनर्विचार)" (१०८)

†**श्री नम्बियार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ६, पंक्ति २२ के पश्चात् यह शब्द रख दिये जायें ।

"Provided that the grounds for detention together with representation of the persons so detained shall be reviewed by a board as is provided under the Preventive Detention Act 1950."

["परन्तु हिरासत में लिये जाने के कारणों पर हिरासत में लिये गये व्यक्तियों के अभ्यावेदनों के साथ, एक बोर्ड, द्वारा पुनर्विचार किया जायेगा, जैसा कि निवारक निरोध अधिनियम १९५० में उपबन्धित है ।]" (६९)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : मैं संशोधन संख्या ४६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं संशोधन संख्या १४१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ७, पंक्ति १६ के पश्चात् यह शब्द रख दिये जायें ।

"(24 A) the taking over by the Central Government or the State Government, for a limited period, of the management of any property (including any undertaking) relating to supplies and services essential to the life of the community;"

["(२४क) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा, सीमित अवधि के लिये ऐसी सम्पत्ति (जिस में कोई उपक्रम भी शामिल है) का ले लिया जाना जो समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक संभरण और सेवाओं से संबंधित हो"] (१०९)

श्री काशी राम गुप्त : मैं संशोधन संख्या १९ प्रस्तुत करता हूं :

श्री नरसिंहन रेड्डी : मैं संशोधन संख्या १, २ और ३ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ७ में से—

पंक्ति ३५ और ३६ **हटा ली जायें** (११०)

†**श्री काशी राम गुप्त** : मैं संशोधन संख्या २३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ८,—

पंक्ति १६ के पश्चात ये शब्द रख दिये जायें : —

"(35 A) the prevention of any corrupt practice or abuse of authority or other *mala fide* action in relation to the production, storage, purchase, sale, supply or transport of goods for any purpose connected with the defence of India and civil defence, the efficient conduct of military operations or the maintenance of supplies and services essential to the life of the community;

"(35 B) the prevention of hoarding, blackmarketing, or adulteration of, or any other unfair practices in relation to, any goods procured by or supplied to the Government or notified by or under the rules as essential to the life of the community;"

[(३५क) भारत की प्रतिरक्षा, और असैनिक रक्षा, सैनिक कार्यवाही का कुशल संचालन अथवा समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक संभरण और सेवाओं को बनाये रखने से संबंधित सामान का उत्पादन भांडागार, क्रय, विक्रय संभरण तथा परिवहन से संबंधित कदाचार, अधिकार के दुरुपयोग तथा दुराशय के निवारण;

---

†मूल अंग्रेजी में

(३५ ब) सरकार को संभरित किये गये अथवा सरकार द्वारा प्राप्त किये गये अथवा इन नियमों के अधीन अधिसूचित समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के जमा करने, चोर बाजारी, अपमिश्रण तथा अन्य कदाचारों का निवारण)] (१११)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि श्री दातार द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर, जो कि संशोधनों की सूची संख्या ५ में सं० १११ पर छापी हैं—

प्रस्तावित नया खंड (३५ ख) में "hoarding" (जमा करना)" शब्द के **पश्चात** "profiteering" (मुनाफाखोरी शब्द **रख दिये जायें** । (१४२)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं संशोधन संख्या १४३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री काशी राम गुप्त** : मैं संशोधन संख्या २ ५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : मैं संशोधन संख्या ७० प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री दाजी** : मैं संशोधन संख्या ५५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री काशी राम गुप्त** : मैं संशोधन संख्या २६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं संशोधन संख्या २७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : मैं संशोधन संख्या ७१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री हरि चरण सौर्य** : मैं संशोधन संख्या २६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं संशोधन संख्या ३१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : येसब संशोधन अब सभा के सामने हैं । आज प्रातः जो संशोधन दिये गये थे, मैंने उन को स्वीकार नहीं किया ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरे संशोधन संख्या १३८ और १३६ विराम चिन्ह संबंधी हैं । इस को स्वीकार करने से खंड का अर्थ सुस्पष्ट हो जायेगा ।

†**श्री दातार** : हम मुनाफाखोरी के संबंध में उनका संशोधन संख्या १४२ स्वीकार कर रहे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मुझे इस की प्रसन्नता है । मुनाफाखोरी को समाप्त करना चाहिये । मुझे इस में सन्देह है कि चित्र, फोटोग्राफ या सिनेमा फिल्म को स्थान दिया गया है ।

†**श्री दातार** : यह किसी अन्य उपबन्ध में आ जाते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: इस को विशिष्ट रूप से नहीं लिया गया । इस को अधिनियम में स्थान मिलना चाहिये, क्योंकि वर्तमान राज्य में इन का बड़ा महत्व है । यदि इस को स्थान दिया गया है तो मंत्री जी बता दें कि किस स्थान पर ।

प्रेस पर नियंत्रण के लिये सभी सराकारें युद्ध के समय उपबन्ध किया करती हैं किन्तु सरकार को बड़ी सावधानी से इन उपबन्धों का उपयोग करना चाहिये । क्योंकि युद्धकाल में भी शक्तिशाली प्रेस की आवश्यकता होती है । जो युद्ध की स्थिति के बारे में लोगों को सूचना देता रहे । सरकार को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

भ्रम फैलाने वाले पत्र और पत्रिकाओं पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिये जो आपत्तिजनक प्रचार करने में लगे हुए हैं। एक पत्रिका ने एक लेख लिख कर श्री मेनन को ईसा मसीह और कांग्रेस दल के लोगों को उसे मारने की मांग करने लिए यहूदी व्यक्त कर के बड़ा अनर्थ किया है। तथा प्रधान मंत्री को पाइलट कहा है जब कि वस्तुस्थिति यह थी कि श्री मेनन ने त्याग पत्र दिया जिसे जनता की इच्छानुसार प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया।

बम्बई साप्ताहिक ने भी एक लेख द्वारा हमारे जरनैलों और जवानों में दोष निकाले हैं जो मातृ-भूमि की रक्षा के लिये अपना रक्त बहा रहे हैं। इस प्रकार के लेखों से जनता में भय फैलता है और कोई लाभ नहीं होता। ऐसे समाचार पत्रों के विरुद्ध तत्काल कर्यावाही की जानी चाहिये थी।

रेडियो के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारत में इस पर सरकार का सर्वाधिकार है। पीकिंग रेडियो भारत विरोधी प्रचार में खूब जोरों से संलग्न है, किन्तु आकाशवाणी ने उन के प्रचार को अवरुद्ध करने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया। सरकार को इस खतरनाक प्रचार को तत्काल अवरुद्ध कर देना चाहिये। यह प्रचार कोई भारतीय युवती करती है, उसका पता लगाना चाहिये और प्रयत्न करना चाहिये कि उस को ऐसा करने से रोका जाये।

संशोधन संख्या १४३ को स्वीकार कर लेना चाहिये और खाद्य सामग्री तथा औषधियों को सम्मिलित किया जाये।

संशोधन संख्या १४१ का उद्देश्य यह है कि उस उपखण्ड के द्वारा सरकार को किसी व्यक्ति को पकड़ने की अवधि शक्ति दी गई है। मैं यह कहूंगा कि इस शक्ति का प्रयोग अत्यन्त सावधानी तथा संयम से किया जाना चाहिये। क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था में सब कुछ आ जाता है।

सत्तारूढ़ दल में एक और बड़ी खतरनाक मनोवृत्ति यह है कि वे पक्षपातपूर्ण प्रचार भी करते रहते हैं जिसका युद्ध से कोई संबंध नहीं होता। सत्तारूढ़ दल ने जो परिपत्र इस प्रकार का जारी किया है वह वापिस ले लिया जाना चाहिये था। यदि इस मनोवृत्ति को न दबाया गया तो इसे राष्ट्र विरोधी खतरनाक कार्यवाही माना जाएगा। हम सब विरोधी दलों ने प्रधान मंत्री को शर्तहीन सहयोग प्रदान किया है।

†**श्री त्यागी** : किसी व्यक्ति ने ऐसा पत्र अपने दल के सदस्यों को लिखा होगा इसका कांग्रेस दल से कोई संबंध नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्योंकि सरकार उसी दल की है इसलिये इस प्रकार के परिपत्र समाप्त किये जाने चाहियें। प्रधान मंत्री की आलोचना मात्र को देश द्रोह का कृत्य नहीं माना माना जा सकता।

प्रधान मंत्री बड़े योग्य एवं बुद्धिमान व्यक्ति हैं किन्तु उन को लोगों की पहचान गलत है। वह भी गलती कर सकते हैं, अतः हमें उनकी आलोचना करने का अधिकार है राष्ट्रीय हित की दृष्टि से। मुझे प्रसन्नता है कि भूतपूर्व रक्षा मंत्री को हटाने के लिये कांग्रेसी सदस्यों ने बुद्धिमत्ता से काम किया है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी ये लोग इसी प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे और सरकार को नियंत्रण में रखेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : हमें अपने नेता में पूर्ण श्रद्धा है और हमें उनके साथ स्वतन्त्र रूप से चर्चा करने का अधिकार भी है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इससे मेरी बात पुष्ट होती है। सरकार को मुकदमा चलाये बिना नजरबन्दी के मामले में नजरबन्द लोगों को नजरबन्दी के कारणों की सूचना देनी चाहिये ताकि वे सलाहकार बोर्ड के सामने अपनी बात या सफाई पेश कर सकें और उच्च न्यायालय का मत सरकार को स्वीकार करना चाहिये।

दूसरे युद्ध काल में मेरे अधिकांश सहयोगी जेल में थे। तब प्रति छः महीने नजरबन्दी का आदेश नया किया जाता था। तथा नजरबन्दी के कारण बताये जाते थे और हम से उनके संबंध में सफाई देने को भी कहा जाता था। उस अभ्यावेदन के अस्वीकार होने पर भी अन्तिम आदेश जारी किया जाता था। इस लिये संसदीय प्रजातंत्र में अब वैसा ही किया जाना चाहिये ताकि प्रजातंत्रात्मक संस्थायें पनप सकें और विधि को कार्यान्वित करते समय प्रजातन्त्र को किसी भी प्रकार हानि नहीं होनी चाहिये। इसलिये उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिये तथा मेरा सुझास स्वीकार किया जाना चाहिये ।

†**श्री नम्बियार** : मेरा संशोध संख्या ९६ श्री कामत के संशोधन के समान है कि नजरबन्दी के कारणों पर पुनर्विचार होते रहना चाहिये। विधि मंत्री ने कहा है कि आपत्काल में न्यायालय या सलाहकार बोर्ड नहीं चल सकते। मैं यह कहूंगा कि इतने अधिक लोगों को नजरबन्द करने के अभिलेख में कुछ ऐसा होना चाहिये कि अमुक व्यक्ति पर अमुक संदेह या शिकायत है। उस व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार होना चाहिये ताकि आदेश को बदला जा सके। यह काम संकट काल में भी किया जा सकता है।

शक्तियों के दुरुपयोग का उदाहरण श्री उमानाथ के जेल से भेजे गये तार से मिलता है। उस सदस्य ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध संकल्प का समर्थन किया था, किन्तु उनको अचानक नजरबन्द कर दिया गया। उसने ऐंसा क्या काम किया था कि उसे नजरबन्द किया जाना चाहिये था। साम्यवादी दल का सदस्य या कार्मिक संघ का नेता होने से वह देश की प्रतरक्षा के विरुद्ध नहीं हो सकते। ऐसी नजरबन्दी युक्तियुक्त नहीं है।

नजरबन्दी के कारण न बता कर सलाहकार बोर्ड रखने, मन मरजी लोगों को नजरबन्द रखने की बात युक्तिसंगत नहीं है।

†**डा० मा० श्री अणे** : (नागपुर) : निवारक विरोध अधिनियम के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड आदि हैं।

†**श्री नम्बियार** : किन्तु उन को नजरबन्द करने का कोई आधार नहीं है। उसी पुलिस अफसर ने उनके घर जाकर मेरी पूछ ताछ की। इस प्रकार वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है।

इसका अवश्य इलाज होना चाहिये, अन्यथा न्याय नहीं होगा। हम यह नहीं कहते कि देश की प्रतिरक्षा की अवहेलना हो, किन्तु न्याय करने का उपबंध होना ही चाहिये। उच्च अधिकारी द्वारा पुनर्विचार का उपबन्ध किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नम्बियार]

विधि मंत्री ने कहा है कि इस विधि के अधीन लोगों के साथ व्यवहार करने के बारे में बड़ी सावधानी बरती जायेगी। किन्तु खेद की बात है कि अफसर लोग सावधानी नहीं बरतते। सरकार को चाहिये कि अफसरों द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग न होने दे। जब हम चीनियों के आक्रमण का मुकाबला करने को कटिबद्ध हैंतो हमें क्यों नजरबन्द किया जाता है? श्री उमानाथ पर क्यों संदेह किया गया है? इस अवसर को राजनीतिक बैर या विरोध का बदला चुकाने के प्रयोग में नहीं लाना चाहिये। हमें संगठित होकर एक बन कर रहना चाहिये। किसी को साम्यवादी होने का यह दण्ड नहीं मिलना चाहिये।

निवारक निरोध अधिनियम में एक वर्ष की सीमा है। श्री कामत ने कहा है किसी व्यक्ति को कितनी भी देर रखा जा सकता है। अतः यह अन्यायपूर्ण उपबंध है। मद्रास आदि में ऐसा उपबंध करने की कदापि जरूरत नहीं। हमारे पीछे हजारों लोग हैं जिन्होंने हमें चुन कर संसद में भेजा है। अतः आपने हमें नजरबन्द करके अनावश्यक पक्षपात पैदा किया है। क्या हमें यद्ध के लिये प्रयत्न करने के लिये यह दण्ड दिया जाना चाहिये।

आप चाहे जिस प्रकार से बर्ताव करते जायें, हम भारतीय हैं और शत्रुओं के आक्रमण का मुकाबला करने को कटिबद्ध हैं। यदि हमें जेलों में भेज कर देश की प्रतिरक्षा की जा सकती है, तो हम उसके लिये भी तैयार हैं। किन्तु क्या यह संसद की इच्छा है?

†**श्री नरसिंह रेड्डी** : मैं पहले संशोधन के द्वारा 'नियन्त्रण' शब्द के स्थान पर 'तेज करना'' रखना चाहता हूं।

दूसरे संशोधन के द्वारा ''कृषि भूमि की खेती तथा उस पर उगने वाली फसलों समेत'' शब्दों को निकालना चाहता हूं। तीसरे संशोधन द्वारा मैं यह परंतुक जोड़ना चाहता हूं कि यह सरकार को अनिवार्य रूप से सहकारी खेती लागू करने की शक्ति नहीं देगा। यदि मंत्री जी का सहकारी खेती लागू करने का उद्देश्य नहीं है तो मैं इसे वापिस ले सकता हूं। 'नियन्त्रण' शब्द का प्रयोग हानिकारक है।

†**श्री काशीराम गुप्त** : मेरे संशोधन का आशय इस प्रकार है। यदि खण्ड को इसी रूप में स्वीकार किया जाय तो यह व्यवहारिक नहीं है। लाखों करोड़ों किसानों को इन निरोध अधिनियमों से डरा नहीं देना चाहिये क्योंकि यह सख्त है और उच्च न्यायालय को कोई अपील नहीं है। इससे लोग निराश हो जायेंगे और उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा। सहकारी खेती जैसी विवादस्पद चीजें ऐसे संकट काल में लागू नहीं की जानी चाहिये। अतः यह खण्ड नहीं जोड़ना चाहिये। मेरा संशोधन विपणन के बारे में हैं, खेती के बारे में नहीं।

मेरे इलाके के बी० डी० ओ० ने कुछ वर्ष पहले निश्चित किया कि किसान निर्धारित भूमि से अधिक पर अलसी नहीं बो सकते। किसानों ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। इस प्रकार क्यों इन कामों को अधिकाधिक पेचीदा बनाया जा रहा है। क्यों कि किसान का इस प्रकार शोषण नौकरशाही के हाथों होता है। अतः इस खण्ड को नहीं जोड़ना चाहिये।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं ने जो दो संशोधन ७० और ७१ प्रस्तुत किये हैं, उन संबंध में मैं कुछ संक्षिप्त निवेदन करना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रजी में

जहां तक संशोधन ७० का संबंध है, मैं यह चाहता हूं कि उप-धारा (५२) में जो यह कहा गया है :

"असैनिक प्रतिरक्षा के संबंध में जनता के लोगों की शिक्षा और असैनिक प्रतिरक्षा के लिये उनका उपकरण"

उस के बाद यह वाक्य बढ़ा दिया जाय :

"शस्त्रास्त्रों के उपयोग के सैनिक प्रशिक्षण या प्रयोग समेत"

आज यह देखा जा रहा है कि राष्ट्रों में सैनिक भावना बढ़ रही है और विशेष कर हमारी युवा-शक्ति को उद्‌बोधन देने की ओर हमारे नेताओं और सरकार का ध्यान गया है। लेकिन मेरी जानकारी यह है कि इस समय हमारे यहां इतने शस्त्र नहीं हैं, जिन से हम अपनी नयी पीढ़ी को विधिवत् और नियत समय में ट्रेनिंक दे सकें। इस लिये, जिन लोगों के पास शस्त्र हैं, इस विपत्तिकाल में उन से शस्त्रों को लेकर अगर हम अपने नवयुवकों को शस्त्रों की दीक्षा दें, तो यह बात हमारे लिये बहुत उपयोगी हो सकती है। आगे चल कर जब हम को अधिक शस्त्र प्राप्त हो जायें, तो उन शस्त्रों के द्वारा उन को विधिवत् प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

मेरे दूसरे अमेंडमेंट में यह भी कहा गया है :—

"किसी दल या संस्था या लोगों के वर्ग अथवा निकाय को शत्रु के साथ सहानुभूति करने या सहायता करने या सहायता करने की संभावना वाला घोषित करना।"

जब से राष्ट्र में संकट का वातावरण आया है, तब से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, यह हमारे देश का सौभाग्य है कि प्रायः सभी ने अपनी गतिविधियों को एक प्रकार से बन्द कर दिया है। जैसे अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे, सब की दृष्टि जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख ही दिखाई देती थी अपने शत्रु की ओर है, और सभी यह चाहते हैं कि किसी प्रकार से उसको भारत की धरती से अलग किया जाए। इसमें दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो यों कह सकता हूं कि इस समय ४४ करोड़ के इस राष्ट्र में अब कोई पार्टी नहीं है, केवल एक ही पार्टी है जोकि सब की मिली जुली है और उका नाम है "भारत" और ४४ करोड़ देशवासी उसके सदस्य हैं और दूसरी पार्टी जिससे इसको मुकाबला करना है, उसका नाम है "चीन" और हमें उस पर विजय पानी है।

ऐसी स्थिति में हम थोड़ा इस बात को देखें कि जो उनके साथ सहानुभति रखते हैं या जो देश के वातावरण को किसी प्रकार से दूषित करना चाहते हैं, उनकी इन कार्यवाहियों पर भी रोक लगाई जाये। थोड़ी देर पहले मैं ने कहा था कि असम राज्य में ही कुछ इस प्रकार के तत्व हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हैं। आज ही देहली समाचारपत्रों में इसी प्रकार का समाचार प्रकाशित हुआ है किस प्रकार से महीनों पहले उनके गुप्तचर वहां पर घम रहे थे और सारे तथ्यों का पता लगा लगा कर उन्हें दे रहे थे। जब राष्ट्र में राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधायां बन्द कर दी हैं और सब मिलकर राष्ट्रीय एकीकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो ऐसे समय में जो सरकार हमारी इस समय है वह सरकार भी किसी पार्टी की सरकार नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सरकार है, वह यह देखे और यह देखना उसका पुनीत कर्तव्य भी हो जाता है कि जिस तरह देश के साथ द्रोह करने पर किसी दूसरी पार्टी या दूसरे संगठन के आदमियों को बन्दी बनाया जाए, वैसे ही इस ओर भी ध्यान दिया जाए कि हमार घर में भी तो कहीं इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं जो ऊपर से देखने में तो देश-भक्त प्रतीत होते हैं मगर जो उसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं जिस तरह से विरोधी तत्व कर रहे हैं और यदि ऐसा है तो

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

उन के ऊपर भी सरकार इसी प्रकार से निर्भीक हो कर हाथ डालना चाहिये जैसे दूसरों पर डाला जाता है ।

इन शब्दो के साथ मैं समझता हूं कि मेरे इन दोनों संशोधनों को सरकार स्वीकार कर लेगी और इन को इसमें जोड़ लेगी। इससे इस बिल की आत्मा को और बल मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता भी नहीं आएगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं विशेष रूप से श्री रंगा को केवल संशोधन संख्या १९ प्रस्तुत करने के लिये अनुमति देता हूं ।

†**श्री रंगा** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'नियंत्रण' के स्थान पर 'विनियम' शब्द रखा जाए ।

हमें कृषि तथा व्यापार और उद्योग के सम्बन्ध में सरकार द्वारा इस शक्ति के लिये जाने में बड़ी उत्सुकता है । हम सरकार के आवश्यक तथा उचित कामों में सरकार का हाथ बंटाना चाहते हैं । किन्तु हमें यह इस ढंग से करना चाहिये कि हमारे उत्पादकों को अधिक उपजाने का उत्साह मिले और उनको अपनी सम्पत्ति बने रहने में विश्वास बना रहे। किन्तु दुःख यह है कि ऐसा होता नहीं--पिछले नियंत्रणों (कंट्रोलों) के परिणाम बड़े भयानक रहे हैं । न केवल नैतिक पतन बढ़ा अपितु सरकारी लोगों में भी भ्रष्टाचार भी खूब फैल गया । अतः यह प्रयत्न करने की जरूरत है कि ये बुराइयां अब फिर न आने पायें । पिछले १० वर्षों में आयोजना के लागू होने से ये बुराइयां बहुत बढ़ गई हैं, और हर स्थान पर लोग इनकी शिकायतें करते रहते हैं। इस स्थिति में मुझे दो और संशोधन रखने की अनुमति दी जाए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब अनुमति नहीं दी जा सकती ।

†**श्री रंगा**: यह मेरा संशोधन लाये बिना इस प्रकार किया जा सकता है कि सरकार प्राप्त होने वाले इस प्राधिकार का प्रयोग करते समयस्थानीय क्षेत्रों तथा अखिल भारतीय स्तर पर सम्बद्ध लोगों के संगठनों को परामर्श करे, कृषि, उद्योग तथा व्यापार पर नियंत्रण करते समय । देश में कितने ही संगठन हैं तथा नवीन होंगे । नियम या विनियम बनाने से पूर्व उससे सलाह की जानी चाहिये अन्यथा अकसर लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे ।

किसानों में बड़ा डर हैं कि सरकार इस संकट काल का लाभ उठा कर सहकारी खेती लागू करना चाहती है । इस आन्दोलन के विरुद्ध जनता में बड़ा विरोध है । अतः सरकार को ऐसे आन्दोलन चलाने के लिए इस शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

नियंत्रण करने पर यह संभव है कि चोर बाजारी करने वाले लोग और व्यापारी किसानों के साथ गड़बड़ करें क्योंकि इन व्यक्तियों से व्यापारियों के हाथ मजबूत होंगे । पहले ऐसा हुआ है । अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार इस कृत्रिम तरीके से ये कंट्रोल लागू न करेगी ।

माननीय गृह कार्य मंत्री क्यों यह आश्वासन नहीं देते कि इस संकट काल में सहकारी खेती लागू करने का उनका इरादा नहीं । सरकार को इस योजना पर व्यर्थ इतना धन नहीं खर्चना चाहिये क्योंकि जब तक किसानों की गर्दन पर यह तलवार लटकटी रहेगी, वे उत्पादन बढ़ाने में दिल नहीं लगा सकते । उस काम में जितना उत्साह लगाया जा रहा है उसे युद्ध के प्रयत्नों में लगाना चाहिये । हमारे

†मूल अंग्रजी में

देश की अर्थ व्यवस्था थोड़ी थोड़ी भूमि की खेती द्वारा आजीविका कमाने की है। किसानों को अपनी स्वतन्त्रता से बड़ा प्रेम है। सरकार को उन्हें प्रोत्साहन देकर उत्पादन बढ़ाने को कहना चाहिये न कि सहकारी खेती लागू करने के चक्कर में पड़ना।

इस खंड में बहुत से उपबन्ध हैं जिनका उपयोग सरकारी अफसर जनता की स्वतन्त्रता छीनने में कर सकते हैं। अतः उनसे लिखित रूप में अपनी कार्रवाइयों के कारण बताने चाहियें उन लोगों को जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई हो ताकि वे उच्च सत्ता को अपील कर सकें।

†**श्री त्यागी।** कई बार सुरक्षा के लिये कारण नहीं बताये जाते।

†**श्री रंगा :** जो उनको नहीं बताया जा सकता वह न्यायाधिकरण को तो बताया जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे। हमें इस अधिनियम के अधीन नजरबन्द होने वालों को कारण बताये जायें, या उच्च अधिकारियों को कारण बताये जायें।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री का संशोधन संख्या १११ भ्रष्टाचार सम्बन्धी मेरे भय को रोकने का उपबन्ध करता है। अतः मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

संशोधन संख्या ३१ के द्वारा मैं चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उस के लिए ठोस साक्ष्य होना चाहिये उस सम्बद्ध व्यक्ति की इच्छा पर सम्बद्ध व्यक्ति को अभियोग के कारण बताये जाने चाहिये। इस संकट काल में हमें उन राष्ट्र विरोधी तत्वों पर निगरानी रखनी चाहिये जो इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों को दण्ड दिया जाना चाहिये। किन्तु ऐसे भी मामले हैं जहां राष्ट्रीय रक्षा का काम करने वाले लोगों की भी आलोचना की जा रही है। श्री एन्थनी ने भी इसका उल्लेख किया है। खेद है कि साम्यवादी लोग आयुध फैक्टरियों में भी घुस गये हैं। उनके एक संघ के सभापति श्री एस० एम० जोशी हैं जिनकी देशभक्ति की भावना सर्वमान्य है। आयुध फैक्टरियों में उत्पादन बढ़ रहा है। उन लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा निधि में दान दिया है। यदि उनको साम्यवादी कहा जाता है तो मैं इसका खण्डन करूंगा। श्री एन्थनी को, जो बर्तानवी साम्राज्यशाही के प्रतिनिधि हैं, ऐसी बात कह कर आयुध फैक्टरियों के कर्मचारियों को निरुत्साहित नहीं करना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय :** ये शब्द ठीक नहीं कि वे बर्तानवी साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं इन शब्दों को वापस लेता हूं। मैं यह कह रहा था कि ऐसे लोगों को, जो चौबीसों घंटे काम करके देश की रक्षा में सहयोग दे रहे हैं, साम्यवादी कह कर अपमानित नहीं करना चाहिये।

श्री गुहा ने कहा है कि सरकार के प्रत्येक विभाग में साम्यवादी गुट हैं। किन्तु वह भलते हैं कि १९६० में सब केन्द्रीय कर्मचारी सर्वश्री नाथपाई, जोशी, पीटर अल्वेयर्स तथा गुरुपादस्वामी के सभापति में काम करने वाले संघों में थे, जिन्होंने चीनी आक्रमण का घोर विरोध किया है। माननीय सदस्य चाहे साम्यवादियों की आलोचना करें किन्तु उन्हें सरकारी कर्मचारियों की ऐसी निन्दा नहीं करनी चाहिये जो अपना पूर्ण प्रयत्न करके सरकार के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, धन रक्त सब कुछ दे रहे हैं। मैंने भी सब कुछ देश के लिये दिया है। अपना बालक भी प्रधान मंत्री को पेश कर दिया है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने देश रक्षा की प्रतिज्ञा की है।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री गुहा का यह आशय नहीं था कि प्रत्येक सरकारी विभागों में साम्यवादियों के गुट हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री गुहा के अनुसार थोड़े बहुत लोग हर विभाग में हो सकते हैं । यह उनका मत है । किन्तु वह सब कर्मचारियों की आलोचना या निन्दा नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अन्त में, मेरा निवेदन है कि श्री कामत द्वारा रखा गया संशोधन संख्या १४१ ही ऐसा संशोधन है जिसे समस्त विरोधी दल एकमत हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं सभी माननीय सदस्यों की इस चिन्ता से सहमत हूं कि इन अधिकारों को प्रयोग करने में सतर्कता से काम लेना चाहिये । इस सभा के प्रत्येक सदस्य ने जिसने यहां भाषण दिया है, यही विचार व्यक्त किये हैं । वस्तुतः, सभा की यह मांग है कि सरकार को अधिक सतर्क व प्रभावी होना चाहिये और लोगों को बन्दी बनाना चाहिये जिन्होंने इस देश का अहित किया है । अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें बतायें कि वह इस मामले में क्या प्रभावी कार्यवाही करेंगे । हां, अधिकतर उपबन्धों को मुख्य रूप से राज्य ही लागू करेंगे । परन्तु मेरा आग्रह यह है कि केन्द्रीय सरकार को सब जगह केन्द्रीय गुप्तवार्ता व्यवस्था करनी चाहिये ताकि पूर्ण नियंत्रण रहे और राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के लाभ के लिए पूर्ण जानकारी प्राप्त हो तथा कोई गलत काम न किया जाये । मेरा विचार है कि प्रत्येक राज्य को भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही के बारे में एक विस्तृत विवरण गृहकार्य मंत्री को अवश्य देना चाहिये ताकि वह उस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकें ? यहां अधिकतर माननीय मित्रों द्वारा व्यक्त किये गये सन्देह, इससे दूर हो जायेंगे । हमें ऐसे तरीके मालूम करने चाहियें कि जो व्यावहारिक हों और इस संकट काल में कार्यवाही करने से न रोकते हों । हमें केवल यह देखना चाहिये कि समूची व्यवस्था ऐसी हो कि सन्देह या शंका के लिए कोई आधार न रहे ।

अन्त में, मैं उस परिचालित पत्र का उल्लेख करता हूं जिसका उल्लेख मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने किया था । यह कांग्रेस का सर्कुलर है और एक आन्तरिक मामला है । मैं निवेदन कर दूं कि श्री कामत इसका बहुत अधिक अर्थ लगा रहे हैं । हमें यह प्रसंग समझना चाहिये जिस प्रसंग में वह लिखा गया है और जिसने उसे लिखा है । यह अत्यधिक उत्साह की बात है । इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । हमें इसी प्रसंग में यह समझना चाहिये ।

मुझे प्रसन्नता है कि आपने श्री स० मो० बनर्जी को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में बता दिया । 'सेल' का अर्थ यह नहीं है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कुछ है । सचाई तो यह है कि सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही कार्य करती है । उन्हीं के द्वारा यह आपात अधिनियम लागू होगा । हमें उन पर पूर्ण विश्वास है । यदि कोई गलती होती है, तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी । मुझे विश्वास है सरकार ऐसे उपाय मालूम करेगी कि इसका दुरुपयोग न हो ।

†**श्री त्यागी** : मुझे प्रसन्नता है कि विरोधी दल ने इस विधेयक के प्रति न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाया है और इस संसद के गौरव को न्यायोचित सिद्ध किया है । चेतावनी देना और सरकार को शून्यतायें बताना विरोधी दल का काम है । उन्होंने इसे खूब निभाया है । हां, जहां तक उनकी आपत्ति का सम्बन्ध है, न उसकी भावना से सहमत हूं । परन्तु निवेदन यह है कि संकट काल में हम ऐसा अधिनियम स्वीकार नहीं कर सकते, जो साधारण सामान्य अधिनियमों की भांति त्रुटिहीन हो । वस्तुतः, हम सरकार को सामान्य विधान के विरुद्ध कुछ अधिकार दे रहे हैं । संकट काल में इन अधि-

---

†मूल अंग्रेजी में

कारों का होना आवश्यक है। मैं विरोधी दल से सहृदय बनने का निवेदन करता हूं। दूसरी सरकार को भी चाहिये कि वह हमें इस सभा में आश्वासन दे कि उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। जो लोग दुरुपयोग करें उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये क्योंकि यह राजद्रोह है और विरोधी दल ने जो विश्वास सरकार में रखा है, उसकी दृष्टि से अधिकारों का दुरुपयोग करना उनके साथ विश्वासघात करना होगा।

मैं आशा करता हूं कि सरकार ने यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है कि यह किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, अपितु व्यक्तियों के कार्य की जांच की जायेगी। संभव है कि कोई निरदोष व्यक्ति भी पकड़ लिया जाये। आशा है कि वे लोग भी देश के लिये त्याग करेंगे। इसके अतिरिक्त, साम्यवादियों सहित विरोधी दलका यह सहयोग आश्चर्यजनक है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि मैं ने ऐसी एकता पहिले कभी नहीं देखी थी। परन्तु मेरी आपत्ति यह है कि सरकार ने अभी तक न्यायोचित सिद्ध नहीं किया है। यदि आप अनुमति दें तो मैं एक छोटा सा प्रस्ताव दूं। मेरा मत है कि सीमान्त क्षेत्रों के प्रत्येक जिले में सरकार को एक प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ करना चाहिये। प्रत्येक केन्द्र में एक हजार सैनिकों के नाम लिखे जाने चाहिये जो उसी जिले के रहने वाले हों क्यों कि जिले की प्रतिरक्षा वे लोग ही सर्वश्रेष्ठ ढंग से कर सकते हैं।

मुझे खेद है कि सर्कुलर की बात उठाई गई और नेताओं की आलोचना की गई। मैं यह अवश्य कहूंगा कि हमारे नेता आज के नेता नहीं हैं, अपितु पिछले दीर्घकाल से हमारे नेता हैं। हमें उन पर पूर्ण विश्वास है; यहां तक कि विरोधी दल मेरे माननीय मित्रों को भी उन पर पूर्ण विश्वास है; समूचे देश को उन पर विश्वास है। अतः यदि कभी मतभेद हो, तो भी विश्वास के अभाव का कोई प्रश्न नहीं है। अतः उस सर्कुलर का वास्तविक अर्थ यह था कि ऐसे संकट काल में, यदि हम कुछ मामलों पर अन्दर ही अन्दर विचार विमर्श करते हैं, तो उस का प्रकाशन नहीं होना चाहिये क्योंकि उस से जनता का आचरण गिरेगा और वे महसूस करेंगे कि हम दो या तीन दल हैं। अतः विश्वास कम होने की बात नहीं है। प्रत्येक दल और दल के प्रत्येक व्यक्ति नेता के साथ हैं। मैं विरोधी दल से भी निवेदन करता हूं कि वह हमारे मत भेद को जनता पर प्रकट न होने दें। हम चाहते हैं कि जनता ऐसी संगठित रहे जैसी कि वह है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल): अध्यक्ष महोदय, मैं चार दिन से इस सदन में डिफेंस आफ इंडिया बिल के बारे में हो रही बहस को सुन रहा हूं। मैं इस बिल का अनयक समर्थन करता हूं, हालांकि भारतवर्ष में इस बिल का पास होना एक दुख की बात है, क्योंकि इस की धारा ३ के द्वारा, जो कि इस बिल की जान और आत्मा है, हम अपने तमाम बुनियादी अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, एक्सीक्यटिव के हाथ में दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस सिचुएशन में, इस स्थिति में, हमारा और हर भारतवासी का यह फर्ज है कि चीनियों का मुकाबला करने के लिये हम राष्ट्रीय सरकार के हाथ में ताकत जमा करें और उस की ताकत बढ़ायें।

अगर हम अपने देश के इतिहास को देखें, तो स्पष्ट दिखाई देता है कि पिछले हजारों साल से हमारे देश में जात-पांत पर आधारित जो फूट चली आ रही है, उस के कारण ही भारतवर्ष की अवनति हुई है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कभी बाहरी फौजों ने देश पर आक्रमण किया, तो हमारे ही बहुत से देशवासी उन का स्वागत करते थे और इस प्रकार अपने देश की स्वतंत्रता दूसरों के हाथ में दे देते थे। मैं चाहता हूं कि इस संकट-काल में पार्टीबाजी और दलबन्दी के झगड़ों में फंस कर हम वही गलती फिर न कर बैठें और इस प्रकार से चीनी आक्रमणकारियों के विरुद्ध किये जा रहे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

संघर्ष में बाधा न डालें, इस देश की वार-एफर्टस में बाधा न डालें और देश की ताकत को बढ़ाने में बाधा न डालें। इस लिये यह आवश्यक है कि देश की ताकत को बढ़ाने के पक्ष में और भारतवर्ष से चीनी हमलावरों को मार भगाने के बारे में जो लोग अपनी आवाज उठाते हैं, उन के खिलाफ इस प्रकार के विचार नहीं प्रकट किये जाने चाहिये, जैसे कि ए० आई० सी० सी० के सर्कुलर में प्रकट किये गये थे। मैं पूरे जोर के साथ उस सर्कुलर का विरोध करता हूं। अपने आप को भारतवर्ष का राष्ट्रीय नुमाइंदा कहनेवाली संस्था, ए० आई० सी० सी०, ऐसा सर्कुलर निकाल और उस में इस प्रकार की खेदजनक भाषा का प्रयोग करे, यह बहुत ही दुख की बात है।

श्री त्यागी : उस का मतलब यह है कि हिन्दुस्तान में जो चाइना का साथ देगा, वह नेशन की मखालफत करेगा और उस को बिट्रे करेगा।

श्री शिव मूर्ति स्वामी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सारे देश में एकता और यूनिटी पाई जाती है और सब लोग बड़े इत्तिफाक से और होश और जोश के साथ काम कर रहे हैं। इस लिये ऐसे अवसर पर इस तरह की बातों से उस एकता को नुक्सान पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बारे में माननीय सदस्य, श्री त्यागी, की जो भावना है, वह भावना जिलों और देहात में रहने वाले कांग्रेसियों में नहीं हो सकती, जो कि छोटे अफसरों पर असर डाल सकते हैं।

यह मानना पड़ता है कि यह सर्कुलर दलबन्दी की भावना से प्रेरित हो कर जारी किया गया है। मैं समझता हूं कि इस सदन की भावना को समझ कर हमारे कांग्रेसी भाइयों को जल्द से जल्द उस में सुधार करना चाहिये, क्योंकि हम को बहुत दिनों तक राष्ट्रीय भावना रखने वाले देश से सब वर्गों—चाहे वह स्वतंत्र पार्टी हो, जन संघ हो, कम्यूनिस्ट हों या कोई दूसरी पार्टी हो—का सहयोग प्राप्त करना होगा।

क्लाज ३ के अन्तर्गत जो एक्स्ट्राआर्डिनरी पावर्ज मांगी जा रही हैं, वे उसी वक्त दी जा सकती हैं, जब कि मुल्क में पैदा हुए इस राष्ट्रीय वातावरण में एक्सीक्यूटिव भी सब समस्याओं को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखे और हमारे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ कांग्रेस के या किसी ग्रुप के लीडर ही न रहें, बल्कि वह सारे देश के नेता हों और वह लोक सभा में बैठे हुए सब दलों के माननीय सदस्यों का विश्वास ले कर एक राष्ट्रीय नुमाइदें और नैशनल लीडर बनें। इस कानून पर कांग्रेस पार्टी की सरकार की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय सरकार की दृष्टि से अमल किया जाये। जब इस सदन के सब सदस्य फार्मल वोट से नेहरू जी को अपना नेता चुनेंगे, तब देश में यह भावना पैदा होगी कि वह केवल कांग्रेस के ही नुमाइंदे नहीं हैं, वह उस ग्रुप के नुमाइंदे नहीं हैं, जिस ने मिनिस्ट्री बनाई है, बल्कि तमाम पार्लियामेंट ने उन को अपना नेता चुन कर उन को ये इमर्जेन्सी पावर्ज दी हैं। तब इस देश की जनता यह सोचेगी कि अब देश में एक राष्ट्रीय सरकार कायम है और हम सब को उस की सहायता करनी है और उस के पीछे चलना है। आखिर में अब चाइना ने सीज फायर किया है। यह एक वार्निंग है जिस को हमें मानना नहीं चाहिये। इस चीज को हमें पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिये कि हम इस सीज फायर के धोखे में आ कर किसी आराम तलबी में न आ जायें बल्कि ज्यादा से ज्यादा ताकत से और ज्यादा तैयारी करें।

मुझे इस सम्बन्ध में इतना ही कहना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री

†**श्री दातार उठे**—

†**श्री ह० च० सौय** (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां बड़े सब्र से इन्तजार कर रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब यहां कोई उठा ही नहीं तो मैं क्या करूं ?

†**श्री शं० ना० चतुर्वेदी** (फीरोजपुर) : श्रीमन्, यदि आप अनुमति दें, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुझे खेद है कि मैं ने संशोधन कुछ देर से दिया, परन्तु यह समची सभा की भावना का द्योतक है। इस में उल्लेख है कि यदि इस अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकारों का जान बूझ कर दुरोपयोग किया जाये तो उस के लिये कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो पांच वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना होगा या दोनों बातें होंगी ।

श्री ह० च० सौय : अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट नं० २९ है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का अमेंडमेंट मेरे अमेंडमेंट से बेहतर है इस लिये मैं अपने अमेंडमेंट को गवर्नमेंट अमेंडमेंट के फेवर में विथड्रा करता हूं। लेकिन इस क्लाज के सम्बन्ध में दो तीन बातें कहना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि क्लाज ३ के सब-क्लाज ९, सब-क्लाज ५२ और सब-क्लाज ४५ में हार्डली कोई डिफरेंस है इस लिये मैं होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वे इन तीनों सब-क्लाजेज पर विचार करें और देखें कि उन को एक में शामिल किया जा सकता है या नहीं।

दूसरी बात यह कि मैं ने जो अमेंडमेंट दिया उस में कुछ देर हो गई इस लिये मैं सिर्फ बतौर सजेशन के बतलाना चाहता हूं कि जब हमारे जवान लोग १४,००० फीट की ऊंचाई पर बर्फीले पहाड़ों पर लड़ रहे हैं तो दूसरे लोग भी और काम क्यों न करें ? जब हम सब-क्लाज २३ में ट्रेड और इंडस्ट्री को कंट्रोल करने जा रहे हैं तो वहां यह क्यों न रक्खें कि हर आर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में जो भी मजदूर हैं वे ज्यादा काम करेंगे ? अभी कई जगहों पर उन लोगों ने अपनी खुशी से कहा है कि वे एक एक्स्ट्रा अवर काम करेंगे। उस एक्स्ट्रा अवर की जो आमदनी होगी उस की वह उस को नैशनल डिफेन्स फंड में डाल देंगे। ऐसी स्थिति में हम यहां पर यह प्राविजन क्यों न डाल दें कि हर आर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में जो भी एक्स्ट्रा अवर काम होगा उस की सारी आमदनी इंडस्ट्री नैशनल डिफेन्स फंड में देगी ?

उस में यह है कि **आलमोस्ट एनी पर्सन** की सर्विसेज हम लोग रिक्विजिशन कर सकते हैं। जहां हमारे यहां फैक्ट्रीज के अन्दर मजदूर काम करते हैं, वहां देहातों में भी बहुत से लोग होते हैं जो काम कर सकते हैं। जो भी गांवों में **एबल बाडीड पर्सन** हैं वह क्यों न एक महीने में दो रोज अपना शारीरिक श्रम सरकार को दें ? हम यहां पर सिविल डिफेंस के लिये जो काम ले रहे हैं उस में इस चीज को शामिल किया जा सकता है। जहां एक ओर जवान लोग इतनी कठिन लड़ाई लड़ रहे वहां पर हम हिफाजत से और पूर्ण सुख सुविधा के साथ घर के अन्दर बैठे रहें यह कहां तक उचित है ? इस वार ऐफर्ट के लिये हर एबल बाडीड आदमी, जहां कहीं भी वह हो, मेहनत करे, और उनकी मिली जुली मेहनत से किसी भी काम में, किसी भी स्कीम में, चाहे वह सिविल डिफेन्स में हो या मिलिटरी आपरेशन्स के सम्बन्ध में, हम लोग बहुत लाभ उठा सकते हैं।

इस के बाद में यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में गरम कपड़ों की कमी है, पैट्रोल का रिजर्व भी हम को रखना है। इस सिलसिले में मेरा सुझाव यह है कि जितनी भी कंट्रोल कमोडिटीज हैं उन के लिये हम यह इन्तजाम करें कि पर्सनल यूज के लिये गरम कपड़े या दूसरी चीजों के इस्तेमाल पर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ह० च० सोय]

कुछ रोक रक्खी जाय। इस के इस्तेमाल की सीमा रक्खी जाय। इसी तरह से पेट्रोल के ऊपर और एलक्ट्रिसिटी के ऊपर भी पर्सलन यूज की सीमा रक्खी जानी चाहिये कि अधिक से अधिक इतना इस्तेमाल किया जा सकता है। आप को इस के लिये फैसला कर लेना चाहिये।

मुझे केवल इतना कहना था और हो सके तो हमारे होम मिनिस्टर साहब इन बातों पर विचार करें और इन सुझावों को स्वीकार कर लें।

श्री कुं० कृ० वर्मा (सुल्तानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हम लोग इस समय संकट काल में हैं और जितनी तैयारी चीन की तरफ से है उतनी हमारी तरफ से नहीं है। उनकी फौज की संख्या बहुत अधिक है। यहां पर जो यह प्रस्ताव किया गया है कि मिलिटरी ट्रेनिंग होनी चाहिये मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं और मैं इस माननीय सदन को बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारे सुल्तानपुर में, जहां से मैं प्रतिनिधि हूं, मिलिटरी ट्रेनिंग के लिये पहले से ही प्रबन्ध कर दिया गया है और वहां पर लोग खुशी से उस समिति के सदस्य बन रहे हैं और माहवारी चन्दा भी देने के लिये तैयार हैं। हमारे जो पुलिस के लोग हैं या जो रिटायर्ड पेंशनर हैं मिलिटरी के वे भी उसमें अपनी सेवा देने के लिये तैयार हैं। वह उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे। मेरी समझ में सरकार के सामने कोई इस किस्म की बाधा नहीं होनी चाहिये कि हमारे पास इतना रुपया नहीं है कि हम सैनिक शिक्षा दे सकें।

आज देश में इतना उत्साह है कि हम उसका प्रयोग कर सकते हैं और सैनिक शिक्षा दे सकते हैं। हमारे जो रिवरसेज हुये है और जो हमारी मातृभूमि पर कब्जा हुआ है उसमें कहां और चीजें बतलायी जाती है वहां मुख्य कारण यह भी था कि शत्रु की सेना की संख्या बहुत अधिक थी जिसका हमको मुकाबिला करना पड़ रहा है। हमको महज इस बात पर नहीं रह जाना चाहिये कि हमारे जवान बहुत ज्यादा बहादुर है और वे कई चीनियों का मुकाबिला कर सकते हैं यह ठीक है लेकिन जब संख्या बहुत हो तो हमारे सैनिक क्या कर सकते हैं। हमारे ज्वान चार का, पांच का या दस का मुकाबिला कर सकते है, लेकिन जब दुश्मन की संख्या उससे कई गुना ज्यादा हो जाय तो मुकाबिला करना कठिन है। इस लिये हमको इस तरफ से गाफिल नहीं रहना चाहिये और जैसा कि सैनिक शिक्षा की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है उसका भी इसमें प्रावीजन होना चाहिये।

दूसरी बात यह उठायी गयी कि ऐसा न हो कि इस की आड़ में कोआपरेटिव फार्मिंग कराया जाये। मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि इस बारे में हमारी संस्था और सरकार की नीति स्पष्ट है। जब भी इसका जिक्र लोक सभा में या विधान सभाओं में किया गया तो साफ तौर पर यह बतलाया गया कि इसके लिये कम्पल्सन हरगिज नहीं होगा, हम किसी को किसी तरीके से कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये मजबूर नहीं करेंगे। हमारे सब से बड़े नेता श्री जवाहर लाल नेहरू ने और प्रादेशिक नेताओं ने इसका पहले से आश्वासन दे रखा है। मैं नहीं समझता कि क्यों.....

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द): इसका सबूत मैं दे सकता हूं कि कम्पल्शन किया गया। गजरात में हुआ है।

श्री कुं० कृ० वर्मा: जहां तक मैं जानता हूं कि कहीं पर भी कम्पल्शन नहीं हुआ है, और अगर कहीं पर ऐसा है, जैसा कि माननीय सदस्य कहते है, तो अगर वह बात नोटिस में लायी जायगी तो उसको ठीक कर दिया जायगा क्योंकि हमारी नीति यह नहीं है, न संस्था की और न सरकार की। तो इस के बारे में माननीय सदस्यों को कोई भ्रम नहीं होना चाहिये।

कहा जाता है कि इस कानून का दुरुपयोग होगा। मैं समझता हूं कि ऐसा कहना कब्ल अज वक्त है। हमारी लोक सभा और सरकार की भी यह न नीति है कि सब लोगों का सहयोग इसमें हमको मिलना चाहिये। हम चाहते है कि सब वार एफर्ट में सहयोग दें। तो सरकार इतनी वेवकफ नही होगी, सरकार ने बुद्धिमत्ता की इतनी कमी न होगी कि वह जान बूझ कर जनता को अपने खिलाफ करे। ऐ सी बात नहीं है। हमारा यह मंशा है और हम यह चाहते है कि हमको अधिक से अधिक सहयोग चीन के आक्रमण का मुकाबिला करने में मिले। यह सरकार ऐसी नीति नही अख्तियार कर सकती कि जिससे लोगों में विरोध पैदा हो।

श्री यशपाल सिंह (कराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से सोच रहा था कि मुझे दो लफ्ज बोलने का मौका मिल जाये। मैं कई दफा खड़ा हुआ, लेकिन मौका नहीं मिला।

मेरी अर्ज यह है कि ट्रेटर को कैपीटल पनिशमेंट दी जाती है। हमारे लिये लफ्ज "ट्रेटर" लिखा गया है। अगर आप हमको ट्रेटर समझते है तो हमको गोली से उड़ा दिया जाये। और अगर किसी ने हमारे ऊपर यह गलत इल्जाम लगाया है तो उसको वह सजा दी जाये। देश के लिये हमने इतना ज्यादा खून दिया है, सन् १९४२ में दिया, सन् ३० में दिया और उससे पहले दिया। हमने उस पार्टी से ज्यादा खून दिया है और आज भी हम उन से ज्यादा खून दे रहे है।

मैं कहता हूं कि यह कांग्रेस का क्रिमिनल नेगलिजेंस है जिसके कारण चीन हमारे देश के अन्दर घुस आया। हम लोगों को हिन्दी चीनी भाई भाई कह कर अंधेरे में रखा गया। मेरा देश पंडित नेहरू से बड़ा है, भारत माता प्रधान मंत्री से बड़ी है। मेरा निवेदन है कि इस शब्द को इस सरकुलर में से निकाल दिया जाये अगर वह गलत है और अगर वह सही है तो हमको ट्रेटर की सजा दी जाये। दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकतीं, देश भक्ति और देश द्रोह साथ साथ नहीं चल सकते।

आज हम से कहा जाता है कि लड़ाई लम्बी चलेगी, उसके लिये तैयार हो जायें। यह सुनकर ब्लैक मार्केटियर तैयार हो जाता हैं। वह मोटर का पार्ट जो मैं बीस दिन पहले डेढ़ रुपये में लाया था आज उसका दाम सवा सौ रुपये हैं। जब कांग्रेस बेंचेज की तरफ से कहा जाता है कि लड़ाई लम्बी चलेगी, तयार हो जाओ तो मुनाफाखोर और ब्लैकमार्केटियर तैयार हो जाता है। नेशन तो खद्दर के यानों से और चरखे से तैयार नहीं होगी, नेशन तो गोला बारूद से तैयार हो सकती है। लड़ाई के लिये सरकार में इस तरह का विश्वास अपने अन्दर होना चाहिये : "

"मैं स्थल पर पहूंचा, मैंने देखा और सब कुछ विजय किया"।

अगर सरकार के अन्दर इस तरह का विश्वास नहीं है तो सरकार का यह मारल फर्ज है कि वह इन कुर्सियों को छोड़ दे और नौजवानों को मौका दे कि व हिन्दुस्तान की रक्षा करें। यह बरदास्त नहीं किया जा सकता कि देश भक्तों को ट्रेटर कहा जाये। हमारा कहना यह है कि सरकार तैयार हो जाये। आज सरकार पीछे है और जनता आगे है। आज सरकार सो रही है, पर जनता जागी हुई है। आज सरकार चाहे तो इस दिन के अन्दर यह कानून बना सकती है कि देश शराब खाने और सिनेमा घर छोड़ कर सीना सिपर हो कर चीन के मुकाबले में आ जाये।

सरकार ने यह भी नहीं बताया है कि सीज फायर उन्होंने किया है हमने नहीं किया है। अभी तक इसका ऐलान नहीं किया गया। भरी पार्लियामेंट में ये बातें कही जाती है तो इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। हम सरकार का हर तरह सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी दरखास्त है कि अगर आप हम से मुर्दम परस्ती करवाना चाहते हैं तो हम वह हरगिज नहीं करेंगे।

श्री ओंकार लाल बैरवा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, जब से चीन ने हमारे देश पर चढ़ाई की है तब से एक नई हालत पैदा हो गयी है। डिफेंस आफ इंडिया का अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति ने सही कदम उठाया है। अब हम पार्लियामेंट में उसे अमली जामा पहना कर बाजाब्ता कानून की शक्ल देने जा रहे है। ऐसे मौके पर मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा।

एक तो शत्रु देश के बहुत से नागरिक हमारे देश में रह रहे है। उनकी गति विधियां हमारे लिये बड़ी घखतरनाक है। सरकार को चाहिये कि उन सब को जेल के सीखचों में बन्द कर दे या कम से कम उनकी हर तरह की गति विधि पर रोक लगावे।

साम्यवांदी पार्टी का जो भी रूख है उससे हमें बहकावे में न आना चाहिये। उन्होंने दिखावे के लिये प्रस्ताव पास करके सभी देश भक्त तत्वों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। साम्यवादी पार्टी में फूट की बात भी मेरी समझ में नहीं आती। यह सब उनकी कूट नीतिक चालें है। हमें इन चालों में नहीं आना चाहिये। मैं पूरी दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि भारत पर चीन की चढ़ाई से जो हालत पैदा हुई है उसका फायदा उठा कर ये साम्यवादी भाई देश में उपद्रव खड़ा करने से कभी बाज नहीं आवेंग। वर्दवान में जो घटना हुई है और बंगाल विधान सभा में जो बहस हुई है उससे साफ हमारी आंख खल जानी चाहिये। आसाम में रेलगाड़ी उलटने तक की साजिश की गयी है। अभी तक कोई एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सब बातें हमारी आंखे खोलने वाली है।

हमारे प्रधान मंत्री भोले भाले है शंकर भगवान की तरह। उन्हें यह सब समझ में नहीं आता. प्रस्ताव पर मोहित हो रहे है कारनामे चाहे कुछ भी हों।

यह साम्यवादी चीन के साथ लड़ाई में हमारा साथ नहीं दे सकते। वे तो हमलावरों के समर्थक हैं। जब तक हमलावरों का एक भी समर्थक आजादी से घूमे, फिरेगा बैठेगा, उठेगा और सोयेगा, देश की रक्षा या देश का कल्याण नहीं है। सरकार से हमारी यह पुरजोर मांग है कि वह साम्यवादी पार्टी पर कड़ी निगरानी रक्खे जिससे वह किसी तरह का उपद्रव खड़ा करने में समर्थ न हों। यही कारण है कि हमारे हिन्दुस्तान की बात जो भी हो इन्हीं दूतों द्वारा पेकिंग रेडियो में शाम को ही आ जाती है और जो आज के पेपर में आया है कि हम गोली नहीं चलायेंगे हमारी सरकार को इस धोखे में भी नहीं रहना चाहिये। डिफैंस आफ इंडिया ऐक्ट का उपयोग पार्टी के हित में न होते हुए देश के हित में होना चाहिए। पहिले देश और पीछे प्रधान मंत्री एक सरकुलर सत्तारूढ़ पार्टी के दफ्तर ने निकाला है कि इस वक्त वह देशद्रोही है तो प्रधान मंत्री की टीका टिप्पणी करेगा। यह नीति अब गलत है।

अध्यक्ष महोदय : कोई और बात कहनी हो तो बेशक कहें वरना सरकुलर का जिक्र तो पहले ही बहुत हो चुका है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : अब मैं आगे बढ़ता हूं। हमारी हवाई सेनाओं के पास आवश्यक सामान नहीं है और न कोई बमवर्षक हवाई जहाज है। हमारे यहां अच्छे लड़ाकू हवाई जहाजों की बहुत कमी है। ऐंटी ऐयर क्राफ्ट गन नहीं है। चीन का जब इतना बड़ा हमला हुआ है और वह तेजी के साथ हमारे देश में घुसता आ रहा है तो ऐसे मौके पर लड़ाई की पूरी तैयारी करना चाहिये क्योंकि कभी भी लड़ाई बड़े पैमाने पर छिड़ सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कम से कम हर बड़े शहर में ऐयरशेल्टर बनाये जाने चाहियें

आवश्यक समझा जावे तो बड़े शहरों में ब्लैकआउट किया जाना चाहिये। ऐयरफोर्स की ट्रेनिंग देश के उत्साही जवानों को देने का प्रबन्ध होना चाहिये।

चुंकि अब समय नहीं है इसलिए मैं और अधिक न कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि इस ऐक्ट का उपयोग देश के हित में हो न कि पार्टी के लिए हो।

श्रीमती सावित्री निगम : (बांदा): अध्यक्ष महोदय, मैं इस डिफस आफ इंडिया बिल का हार्दिक समर्थन करती हूं। वैसे इसका समर्थन करते हुए मेरा हृदय एक प्रकार से क्षोभ से भरा हुआ है क्योंकि हम लोग शान्तिप्रिय हैं और हमारे देश की नीति अब तक बराबर स्वतन्त्रता तथा शान्ति की समर्थक रही है। लेकिन जब विदेशी दुश्मनों ने हमें मजबूर कर दिया और हमारे ऊपर इस तरीके से एक नाजायज हमला किया तो हमें विवशतापूर्वक इस बिल को लाना पड़ा। आज देश के वे सभी लोग जोकि देश भक्त है उनको एक स्वर से बिना किसी शंका या शक के इस डिफेंस आफ इंडिया बिल का समर्थन करना चाहिए।

कुछ आपत धर्म हुआ करते हैं और उन आपत धर्मों को हम आपत काल के लिए सहर्ष स्वीकार करते हैं। ऐसे राष्ट्रीय संकट के अवसर पर इस प्रकार की बातें उठाना या इस प्रकार के संशय पैदा करना जैसा कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है सदन के कुछ लोगों ने उठाये, एक प्रकार से जाने हुए या अनजाने हुए देशद्रोह करना होता है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं कि यहां कुछ लोगों ने ऐसी शंकाए प्रकट कीं कि कहीं ऐसा न हो कि इस ऐक्ट का दुरुपयोग हो। लेकिन मेरा कहना है कि वे लोग जो कि देशभक्त हैं और जिनका हृदय देशप्रेम से ओतप्रोत है उनके मन में कभी भी ऐसी शंका उत्पन्न नहीं हो सकती।

मैं कल रात की बात बतलाना चाहती हूं कि कल साढ़े दस बजे रात में एक बहन ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। वह ममतामयी बहन जब घर के अंदर घुसी तो मुझ से कहनी लगी कि मैं आज आप के पास बहुत मजबूर होकर आई हूं और मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि आप मेरे लड़के को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करा दें। ऐसी ऐसी देवियां भी देश में मौजद हैं जिन्होंने लड़के का जरा भी मोह नहीं किया, जिसने अपने इकलौते पुत्र के दुःख सुख की कुछ चिंता नहीं की और जिसने देश की सुरक्षा और देश की स्वतन्त्रता को सबसे बड़ा मान लिया। ऐसी देशभक्त बहिन को देख कर मेरा मस्तक गर्व के मारे ऊंचा हो गया। उसने कहा कि देश के हित के लिए और देश की सुरक्षा के लिए इस बच्चे के पिता ने सन ४२ की लड़ाई में अपने प्राण गवाये लेकिन कभी कभी शेरनी की कोख से भी सियार पैदा होता है और यह मेरा लड़का उस सियार के समान है और मैं चाहती हूं कि देश हित के लिए आप मेरे इस लड़के को गिरफ्तार करवा लें। एक तो वह बहिन और उसकी देश-भक्ति जिसके कि आगे किसका मस्तक नत न होगा और दूसरी तरफ जब मैं यहां देशभक्ति का दम भरने वाले लोगों के मन में इस ऐक्ट को लेकर एक डर और भय की भावना देखती हूं तो मैं तो आश्चर्यचकित रह जाती हूं और मैं सोचने लगती हूं कि वे लोग जोकि इस ऐक्ट को देख कर ही भयभीत होगये वे भला सीमाप्रदेश में जाकर गोली बारूद का सामना या चीनी दुश्मनों का सामना कैसे करेंगे। हालांकि अभी तक इस एक्ट का उपयोग आरम्भ नहीं किया गया है लेकिन उसका उपयोग होने से पहले ही इस तरह कुछ लोगों का शक जाहिर करना और भय प्रकट करना शुरू होगया है। लेकिन जहां तक इसकी उपयोगिता का सवाल है इस बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं कि इस तरह का लेजिस्लेशन आज के हालात में

[श्रीमती सावित्री देवी]

बहुत जरूरी है। बाहर ही क्यों संसद् में भी ऐसी बातें जोकि इस एक्ट के भी खिलाफ हैं और देश के हित के भी खिलाफ हैं, हमें सुनाई पड़ती हैं।

मेरा निवदन है कि इस डिफैंस आफ इंदिया एक्ट की धाराओं से बहुत से लोग परिचित नहीं हैं इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री, से आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहती हूं कि उसकी वे धाराएं जिनका कि व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्ध है उनका अनुवाद हर रीजनल लैंग्वज में करवाये ताकि लोग कम से कम इस बारे में अनभिक्षता का आरोप न लगा सकें।

सदन में सरकुलर की बहुत चर्चा सुनी। इस वक्त सरकुलर की चर्चा करने का मौका नहीं है लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगी कि अगर कोई सरकुलर निकल भी तो भी जो देशभक्त लोग हैं उनको तो उससे कोई डर होना ही नहीं चाहिये। ऐसे सरकुलरों से वे लोग ही भय-भीत होंग जोकि देश का डिफैंस नहीं चाहते, देश का हित नहीं चाहते या जिनके मन में कुछ कच्चापन है या जिनके मन में कुछ शंकाएं हैं। ऐसे समाज विरोधी और देशद्रोही तत्वों के लिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा गृह-कार्य मंत्री महोदय से अपील करती हूं कि उन पर इस एक्ट का उपयोग जल्दी से जल्दी किया जाये और उनके प्रति कोई किसी किस्म की रिआयत न दिखाई जाये। ऐसे देशद्रोही जोकि आज हम लोगों के बीच में फरेब का जामा पहन पर घूम रहे हैं उनका जल्द से जल्द अंत किया जाय।

अंत में मुझे यही कहना है कि हमारी सिविल डिफैंस की तैयारियां बहुत तेजी के साथ होनी चाहिएं और उनमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। यहीं दिल्ली में ही मैं बतलाना चाहती हूं कि अभी तक सिलेबस नहीं बना है कि क्या क्या ट्रेनिंग कोर्स होंगे। इसलिए मेरा कहना है कि सिविल डिफैंस के सम्बन्ध में जो भी कमी नजर आये उसको जल्दी से जल्द दूर करना चाहिए।

आज प्रशासन के पास हर काम के लिए ट्रेंड पर्सनल नहीं है और इस नाते जनता के हर एक वर्ग का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह आगे आये और इस कमी को पूरा करे। डाक्टर्स, सोशल वर्कस और बिजनैस फर्म्स के जो ऐडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको कौन फिडैंस में लेना चाहिए और उनसे यह ट्रेनिंग कोर्सेज का सिलेबस बनाने और सिविल डिफैंस की तमाम तैयारी में उनका सक्रिय सहयोग लिया जाये। फायर फाइटिंग आदि की ट्रेनिंग का बंदोबस्त शीघ्र से शीघ्र किया जाय।

इसके अलावा सिविल डिफैंस सम्बन्धी आवश्यक चीजों के निर्माण के लिए जिन फैक्टरीज और इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने औफर किया है और जिन्होंने कहा कि वे आपका सिविल डिफैंस का जरूरी सामान बनाने के लिए तैयार हैं अभी तक इन तमाम उद्योगपतियों के पास न तो गृह मंत्रालय ने और न सुरक्षा मंत्रालय ने कोई अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजी हैं। बस मैं अधिक न कह कर इतना ही कहना चाहती हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने कि अपना औफर भेजा है उनका सहयोग जल्द से जल्द लेना चाहिए।

मैं क्लाज तीन का समर्थन करती हूं।

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** : मैं नहीं जानती कि हमारे उन माननीय मित्रों को किस बात से भ्रम हो गया है, जिन्होंने हमारे प्रधान मंत्री का आक्रमणकारी को खदेड़ने में

†मूल अंग्रेजी में

समर्थन किया था। । आज जबकि कांग्रेस ने उसके अनुसरण में सर्कुलर निकाला है तो वे नाराज हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि जो लोग आक्रमणकारियों को बाहर निकालने में प्रधान मंत्री का समर्थन करते हैं वे देशभक्त हैं और जो समर्थन नहीं करते, वे देशद्रोही हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जो लोग आलोचना करते हैं, उन्हें "देशद्रोही" कहा गया है।

†**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** : मैं समझती हूं कि यदि सभी सदस्य चाहें तो अपने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना कर सकते हैं वह एक और संशोधन को परिचालित कर दें। यह समय है जबकि हमें अपने नेता को अपना सारा अधिकार देना चाहिये। अध्यक्ष की उद्घोषणा उन व्यक्तियों के लिये, जिन का प्रयत्न से सीधा संबंध है, सूचना है कि उन्हें सामयिक समर्थन देने के लिये समूचे राष्ट्र की शक्तियां तत्पर हैं। फिर, अफवाहें फैलाने वाले भी हैं और हमें अपनी जनता को उस से तथा मुनाफाखोरों से बचाना है। फिर ,कुछ लोग जासूसी करते हैं और साम्यवादी सहायता देते हैं। अब, साम्यवादी दल ने एक संकल्प पारित किया है। उस दल के एक वर्ग को वह संकल्प पास करने में बड़ा खतरा उठाना पड़ा। क्या हम उन लोगों के साथ मौका देख सकते हैं ? इन दिनों भी, उस संकल्प के पास होने के बाद भी, उन में कुछ लोग जनता में कहते हैं कि उन्हें स्वतंत्र करने के लिए चीनी भाई आ रहे ने। क्या सरकार केवल इस कारण कि उन्हों ने संकल्प पास किया हैं, इन के साथ मौका ले सकती है ? नहीं। इस समय लोकतंत्र के नाम पर ये खतरे नहीं उठा सकते। दूसरी ओर, जनता इस के लिए अधिक चिन्तित है कि सरकार ऐसे असामाजिक व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। सारी जनता हमारे साथ है। कहावत है कि "यदि भारत जाता है, तो कौन रहेगा ? यदि भारत मरता है, तो कौन जीवित रहेगा ?" इस स्वतंत्रता को बचाने के लिय १० करोड़ व्यक्ति भी रणक्षेत्र में जा कर स्वतंत्र नागरिकों की भांति मर जायेंगे।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) अध्यक्ष महोदय, दस घंटों की बहस में मुश्किल से तीन चार औरतों को इस पर बोलने का मौका मिला है। मैं बहुत अदब से कहना चाहती हूं कि मैं हमेशा देखती हूं कि उन औरतों को भी आखीर मैं टाइम मिलता है। आप मेहरबानी कर के औरतों को बीच में बुला लिया करें।

अध्यक्ष महोदय : यह बात ही ऐसी है कि जो मर्द हैं वे आगे आगे चले और मातायें उन को पीछे से हौसला दें। चूंकि यह चर्चा ऐसी थी इसलिये मैं ने आप को बाद में समय दिया ताकि आप उन को हौसला दें।

श्रीमती लक्ष्मी बाई : मैं अपने होम मिनिस्टर साहब को बधाई देती हूं कि जिस तरह का बिल वह लाये हैं वह संकट के समय जरूर आना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरी राय यह है कि मैं जहां से आती हूं वहां मैं किसी को बुरा नहीं समझती। इन्डिविजुअली कम्युनिस्ट लोग बहुत अच्छे हैं। मैं पर्सनली जानती हूं कि तेलंगाना में बहुत से ऐसे कम्युनिस्ट हैं जो कैरेक्टर में बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब समष्टि में मिल जाते हैं तब वे खराब हो जाते हैं। जब चार कम्यूनिस्ट मिल जाते हैं तब उन की आदत खराब हो जाती है। मैं अपने अनुभव से कह सकती हूं कि हमारे यहां कम्यूनिस्टों के दो तरह के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और। वह हमेशा सीधी बात नहीं कहते हैं। जहां चार मिल गये कि तरह तरह की बात कहने लगते हैं और तरह तरह के रूप धारण करते हैं। हर साल उन का रूप बदलता रहता है। तेलंगाना में रहते हुए मुझे जो तजुर्बा उन का हुआ है अगर मैं उस को कहूं तो यहां एक घंटे में भी खत्म नहीं कर सकूंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

हम को यह भूलना नहीं चाहिये कि कम्यूनिस्टों के अन्दर भी ए, बी, सी, क्लासेज हो गये हैं। ए कम्यूनिस्ट, बी कम्यूनिस्ट, सी कम्यूनिस्ट, इस तरह की तीन या चार किस्में हो गई हैं। हमें मालम नहीं कि उन के अन्दर क्या हो रहा है। मुझे उन से डर लगता है इसलिये आप इस चीज को ध्यान से सुनिये। हमारे हिन्दुस्तान की बहन दुनियां की बहनों से बहुत आगे हैं। बापूजी ने एक किताब में लिखा है और हमारे शास्त्रों में भी है कि हमारे यहां बहनें बहुत सिन्सिअर होती हैं। दुनिया में सब जगह ऐसा होता है लेकिन हिन्दुस्तानी बहने ज्यादा सिन्सिअर होती हैं। लेकिन गुरु जैसा मिलेगा वैसी ही हमारी बहने बनेंगी। हमारी कम्यूनिस्ट बहनें बहुत खतरनाक होती हैं। उन में तरह तरह की ताकत रहती है और हम उन को पहचान नहीं सकते हैं। हमारे कम्यूनिस्ट भाइयों में अन्तर्ध्यान रहने की, गलीज गन्दे में रहने की, रूप बदलने की तरह तरह की ताकत होती है। कभी कभी तो वे औरतों के वेश में भी आते हैं। मुझे तीन चार बार ऐसा दिखाई पड़ा। वह घर में आये और सामान ले कर चलते बने। मैं ने तो समझा कि कोई सहेली मेरी आ गई लेकिन वह दूसरे लोग निकले और सामान ले जाने के बाद मुझ को चिट्ठी लिखी कि हम फलां दिन आये थे तुम्हारे यहां।

जब पहले पहल हमारे देश में सन् १९४७ में आजादी आई तो हमारी यही कम्यूनिस्ट भाइयों ने अलग अलग नहीं, सब मिल कर निजाम को प्रभावित किया और कहा कि तुम क्यों हिन्दुस्तान में मिलते हो, तुम हिन्दुस्तान से अलग रहो और इस तरह से उन को बहका कर उन से मदद वगैरह ली। बाद में हिन्दुओं के पास गये और कहा कि वहां रजाकार लोग हो गये हैं। वहां पर मुसलमानों का राज है, आप हिन्दू हैं आप क्यों उन से मिलते हैं? इस तरह से उन से भी हथियार ले लिये, उसे ले लिये और अपने घरों में ले जा कर रख लिये। हथियार लेने के बाद उन्हों ने अपनी चाल दिखानी शुरू की और रात में अमीरों को मारने लगे। अममीरों ने सरकार से शहरों में शरण ली। दिन में यह समझ कर कि गांव गांव वालों ने कम्युनिस्टों को शरण दी रजाकार पुलिस के साथ गांवों में आ कर जनता को मारने लगे। वहां पर आंख मिचौली का खेल खेला, रजाकार दिन में खेलते रहे और कम्यूनिस्ट रात में खेलते रहे। धीरे धीरे कम्यूनिस्टों ने भोले भाले रजाकारों से उन के हथियार भी छीन लिये। जब इंडियन पुलिस ऐक्शन हुआ तो राजाकार और कम्यनिस्ट दोनों मिल गये और दोनों ने मिल कर इंडियन लोगों को दगा दिया। उन्हों ने वहां पर सड़के काट दीं, पुल गिरा दिये और आने जाने के रास्ते बन्द कर दिये। इसलिये कम्यूनिस्ट लोग किसी तरह का वादा करे, हम को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिये क्योंकि वह गोल मोल लोग हैं? उन्हों ने पता नहीं कितनी बार कहा कि हमारे पंडित जी की पालिसी से वह बेजार हैं क्योंकि पंडित जी की पालिसी नादानी की पालिसी है। मैं कहना चाहती हूं कि पंडित जी दो तरह के दांत नहीं रखते कि एक तरफ तो पंचशील की बात कहें और दूसरी तरफ ताकत बढ़ाते जायें। यही वजह है कि आज दुनियां हमारे पीछे है और हमारी ताकत बढ़ गई है। अगर वे दो तरह की बातें करते तो यह ताकत हमारे अन्दर नहीं आती। पंडितजी बहुत सिन्सिअर हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि "अहिंसा परमो धर्मः" साथ ही यह भी लिखा है कि "सर्वधर्मे समानत्व"। हम पचास सालों से कहते आये हैं कि "सर्वधर्मे समानत्व"। हम अगर घर में आपस में लड़ते हैं तो भले ही लड़ते रहें लेकिन दुनिया के लिये हम सब एक हैं।

आज मैं ने पेपर में देखा तो मेरी तबिअत गद्गद् हो गई कि आज हिन्दुस्तान के बच्चों ने इकट्ठा हो कर एक रेजोल्यूशन पास किया कि वह अपना पाकेट मनी खर्च नहीं करेंगे बल्कि रक्षा कोष में अपने खून के साथ दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीया सदस्या अब खत्म करें ।

श्रीमती लक्ष्मी बाई : बापूजी हम से यह भी कहा करते थे कि :

"मैं चाहता हूं कि भारत प्रगति करे ताकि सारे संसार को लाभ हो । मैं नहीं चाहता कि भारत अन्य देशों को मिटा कर आगे बढ़े ।"

यह हमारी पालिसी है । हम इस के ऊपर डटे हुए हैं । मैं अपने होम मिनिस्टर से यह बतलाना चाहती हूं कि आप अपने जवानों को तैयार करे, फौज में उन को भेजें, लेकिन इस से ही हमारा काम पूरा नहीं होगा । आप को अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को भी ठीक करना होगा । आज हमारे यहां जगह जगह पर चोर बैठे हुए हैं । आप के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को एफेक्टिव तरीके से काम करना है । आज आप के इंटेलिजेंस डिपार्ट मेंट में, आप के ऐडमिनिस्ट्रेशन में, कारखानों में, सब जगह चोर घुसे हुए हैं । उन जगहों पर हिन्दुस्तान के विरुद्ध द्रोह हो रहा है । आप को उस को कंट्रोल करना चाहिये । किस तरह से करना है यह आप को मालूम है । आप को हजार आंखों से देखना पड़ेगा नहीं तो खाली हमारे जवानों को भेज देने से ही काम नहीं चलेगा ।

इस के अलावा आप को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यहां पर जो भी काम कर सकने वाले लोग हैं वह सब काम करें । आप के यहां जो पांच घंटे काम होता है उस से काम नहीं चलेगा । कम से कम छः सात घंटे काम होना चाहिये । होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक सर्कुलर निकलना चाहिये कि अब वक्त आ गया है कि कम से कम छः सात घंटे काम हो । हमारे यहां के लोग गहुत गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उन को मालूमात नहीं हैं । उन के लिये आप को काड्र्स इश्यू कर देना चाहिये जैसे कि आप जरूरत पर लोगों को राशन कार्ड इश्यू करते हैं । उन के जरिये से वे गांवों में जा करें महीने में कम से कम दो दिन काम करे । वे गरीब हैं इसलिये पैसा तो दे नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि वे गांवों में जा कर काम करे और इस तरह से आप की मदद करे ।

इन शब्दों के साथ मैं क्लाज़ ३ को सपोर्ट करती हूं ।

†**श्री क० ला० राव** (विजयवाडा) : श्रीमान, आक्रमण को रोकने के लिये हमारा निश्चय, जीवित रहने की हमारी इच्छा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है । वर्तमान संकट का मुकाबला करने के लिये विधेयक, विशेष कर खण्ड ३ अति आवश्यक है । अतः ये संकटकालीन अधिकार देते समय, मैं नहीं समझता कि सरकार को इन का अयोग करने का कोई समय आयेगा क्योंकि देश में हमारी बड़ी ही सुन्दर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है और यदि कृषकों को उर्वरक, जल, भमि आदि की सुविधा दी जायें, तो, मुझे विश्वास है कि वे बहुत ही अच्छा उत्तर देंगे । इस के साथ ही मंत्रालय और केन्द्रीय सरकार को थोड़ा सुधार कर के और अधिक समन्वय करना चाहिये । यदि आप यह कर देते हैं, तो संकटकालीन अधिकारों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होगी । आन्तरिक मोर्चे पर, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि खाद्य उत्पादन बढ़े ।

इसी के साथ, रणक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये तीन मूल बातें हैं जिन्हें पूरा करना चाहिये । पहिली बात लड़ाकू आचरण, लड़ने की इच्छा की है । इस बात की इस देश में कमी है । दूसरी बात सुदृढ़ सेना मुख्यालय के संगठन की है । आजकल, प्रतिरक्षा सचिवालय अनजान व्यक्तियों से भरा पड़ा है । मेरा निवेदन है कि इस संकट काल में यह आवश्यक है कि हमें वे सारी बातें समाप्त कर देनी चाहिये जिन से देर होती है और हमें ब्रिटेन का अनुसरण करना चाहिये । वहां लार्ड माउन्टबेटन हैं । तीनों सेना अध्यक्षों के ऊपर एक सभापति अधिकारी होता है । इसी प्रकार, हम एक परिषद् बना सकते हैं जिसमें तीनों सेना-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० ला० राव]

अध्यक्ष हों और एक सभापति हो । हां, वह व्यक्ति व्यावसायिक अवश्य होना चाहिये ताकि वह प्रतिरक्षा समिति के समक्ष व्यावसायिक दृष्टिकोण रख सके । यदि ये अधिकार दे दिये जाते हैं और उसे सैनिक संगठन करने का अधिकार दे दिया जाता है, तो मुझे विश्वास है कि किसी संकटकालीन अधिकार का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी । तीसरी बात सेना के इंजिनीयरी विभाग की है । एक ऐसा टेक्निकल व्यक्ति होना चाहिये जो समन्वय कर सके । यदि यह हो जाये तो हमारी परिवहन व्यवस्था, संचार व्यवस्था में काफी सुधार हो जायेगा । संभरण व्यवस्था पूर्णतया संचार पर निर्भर है । अतः यह अत्यावश्यक है कि हमारा इंजिनीयरिंग विभाग सुव्यवस्थित हो ।

लड़ाई में विजय पाने के लिए दूसरी बात बन्दूकों, टेंकों और विमानों के संभरण की है । हां, यह कार्य हमें दीर्घकाल और अल्पकाल के आधार पर करना होगा । युद्ध एक सचाई है । हमें हर काम वास्तविक और व्यवहारिक विचारों से करना चाहिये । तत्काल आवश्यकता के लिए हमें बाहर उधार अवश्य लेना होगा और साथ ही हमें अपना निर्माण का प्रबन्ध करना चाहिये ।

चीनियों की बहु-संख्या का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है कि हम टेक्निकली उनसे अच्छे हों । अतः यन्त्रीकरण बहुत ही आवश्यक है । आजकल हमारे यहां बहूत थोड़ा यंत्रीकरण है । हमें इसे बढ़ाना चाहिये । यदि असैनिक क्षेत्र में यंत्रीकरण न हो तो कोई बात नहीं, परन्तु सेना में यंत्रीकरण अवश्य होना चाहिये । केवल इसी से चीनियों की बहु-संख्या का सामना कर सकत हैं ।

यह भारत प्रतिरक्षा विधेयक स्वतन्त्रता के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए राष्ट्र के दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है । हम सबको एक हो जाना चाहिये । एक संगठित होने पर, मुझे विश्वास है कि इस संकटकालीन विधेयक से हमें कोई डर नहीं रहेगा क्योंकि यह विधेयक विजय प्राप्त करने के लिए हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतीक है ।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : अध्यक्ष महोदय, सदन में अपना भाषण देकर माननीय सदस्य उठ कर चले जाते हैं और इस तरह संख्या कम होने से यहां पर काम जारी रखना कठिन हो जायेगा । इस ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी देख रहा हूं कि जो भाषण दे लेते हैं वे चले जाते हैं । अब मैं नहीं समझता कि कौन सा तरीक़ा उनको रोके रहने का हो सकता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** तो क्या माननीय मंत्री उत्तर कल देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हां जी ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा:** (आनन्द) : मैंने बहुत से संशोधन प्रस्तुत किये हैं । सर्वाधिकार दे देने से भ्रष्टाचार बढ़ता है, अतः मेरा प्रयत्न यह है कि इस विधेयक के उपबन्धों का इस प्रकार सुधार कर दिया जाय कि यह लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुकूल हो जाये । मैं सर्वाधिकार दे देने के पक्ष में नहीं हूं । इस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली में भतपूर्व सेना अधिकारियों को समुचित आवास स्थान भी प्राप्त नहीं हो रहे । सेना अधिकारियों में इस प्रकार के अविश्वास के वातावरण को दूर किया जाना चाहिए । समय आ गया है कि हम

---

†मूल अंग्रेजी में

इन लोगों के महत्व को समझें और उनके लिए समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करें । एक और बात है कि सेना के लिए खादी का उपयोग अनिवार्य बना दिया गया है ।

मुझे एक सैनिक मिला जिसकी आंखें और ऊंगलियां समाप्त हो गयी थीं, हम उन्हें केवल २७ रुपये प्रतिमास की वेतन निवृत्ति दे रहे हैं । अब आप बताइए वे लोग कैसे जीवित रह सकते हैं । मेरा निवेदन है कि हमारी सेना के जो जवान मर जायें उनके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा पुनर्वास की सुविधा दी जाये । आज हम प्रतिरक्षा और सुरक्षा की बातें करते हैं, परन्तु इस दिशा में हमें दिल्ली में कुछ भी किया जाता हुआ दिखाई नहीं देता । युद्ध ही की घोषणा का आज हमारी जनता पर प्रतिकूल प्रभाव होता हुआ दिखाई दे रहा है । हमें रक्षा की समुचित तैयारी करनी चाहिए । नागरिक रक्षा योजनाओं पर ध्यान दिया जाय । सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हम में आत्म-संतुष्टि की भावना नहीं आनी चाहिए । पदासीन दल वालों को दूसरे लोगों पर हमला करने से पूर्व कुछ सोच विचार कर लेना चाहिए ।

†**श्री च० का० भट्ट ाचार्य** (रामगंज): मेरे विचार में हमारे विरोधी पक्षों के लोग यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं अपना रहे । क्योंकि यदि वे स्थिति का यथार्थरूप लेते तो वे वह न कहते जो कुछ वे कह रहे हैं । आज भारत बड़ी विचित्र स्थिति में है । चीन ने हम पर हमला कर दिया है और पाकिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है और हम तरह तरह की बातें बना रहे हैं । आज किसी दल का प्रश्न नहीं है, देश की रक्षा और मातृभमि की सेवा का प्रश्न है ।

चीन के बारे में मेरा निवेदन है कि उसकी नीति यह है कि कुछ चीज हासिल कर ली जाय और उसके बाद उस पर बातचीत की जाये । आज जो वह युद्ध विराम की बातें कर रहा है, उसे भी इसी पृष्ठभमि में समझा जाना चाहिए । बड़ी कठिन स्थिति है, ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा आपातकालीन अधिकार का मांगा जाना कोई असामान्य बात नहीं है । हमारी परम्परायें लोकतंत्रात्मक है । हमें इस बात की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि पदाधिकारी अथवा सरकार इन प्राप्त किये हुए अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे । अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खण्ड के सम्बन्धी सब संशोधन वापिस ले लिए जाने चाहिए । और इस एतिहासिक विधेयक को बिना किसी विरोध के पारित करना चाहिए ।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** (परमणी) : खण्ड ३ को प्रारूपित करते हुए विधि मंत्रालय ने विशेष दक्षता दिखाई है । मेरा विचार यह है कि इस खण्ड में जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, वे इसका सुधार करने के बजाए विधेयक का मसविदा ही खराब हो जायेगा । और सारा प्रभाव नष्ट हो जायगा । इस दिशा में मेरा यह भी निवेदन है कि सरकार जितने अधिकार प्राप्त कर रही है, उतने लेना इस आपातकालीन स्थिति में बड़ा आवश्यक है ।

इस विधेयक में ४८ धारायें हैं, परन्तु सब से महत्वपूर्ण धारा ३ है । इसी के अन्तर्गत जो आपातकालीन नियन्त्रण के लिए सरकार अधिकार ले रही है, लोग उसे प्रसन्नता से स्वीकार करेंगे । और तो और हमारे साम्यवादी मित्रों ने भी इसका स्वागत किया है । इसके अन्तर्गत जो अधिकार सरकार को दिये जा रहे हैं उन्हें शांति के समय की तरह प्रयोग में नहीं लाया जायेगा, प्रत्युत तत्काल समय पर अधिकारियों द्वारा ये अधिकार देश के हित में प्रयोग किये जायेंग । इस बात का विश्वास तो हमें करना ही चाहिए कि अधिकारी वर्ग इन अधिकारों का दुरोपयोग नहीं करेंगे । हमें जिस शत्रु का सामना करना है वह लोकतंत्रीय व्यवस्था

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शिवाजी राव शं० देशमुख]

का कायल नहीं है, न उसे कोई लिहाज ही है। हमें उनकी युद्ध विराम की घोषणाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। मैं गृह-कार्य मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि इन अधिकारों को लेकर सरकार को पूर्ण जागरूकता से उन लोगों को जेल में डालना चाहिए जिनका कि ऐसा करना देश की सुरक्षा के हित में जरूरी हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री जी।

†**श्री दातार** : माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का जो सामान्य समर्थन किा है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे।

इस के पश्चात् लोक सभा मंगलवार, २७ नवम्बर, १९६२ / अग्रायण ६, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GMGIPND—LSIII—2388 (Ai) LSD—10-1-63—140.

सोमवार, २६ नवम्बर, १६६२ / ५ अग्रहायण, १८८४ (शक)

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना : . .	१४७७-७८

श्री उटिया ने २२ नवम्बर, १६६२ को दिल्ली में दिल्ली क्लाथ मिल्स के निकट पटाखे के विस्फोट की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दातार ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४७८-७६

(१) अखिल-भारतीय सेवायें अधिनियम, १६५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १६५४ की अनसूची ३ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १ सितम्बर, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या ११४० । .

(दो) दिनांक ३ नवम्बर, १६६२ को अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० १४२३ में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, १६६२ ।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १६५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १० नवम्बर, १६६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५०१ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (दसवां संशोधन) योजना, १६६२ ।

(दो) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १६४८ की धारा ३०-क के अन्तर्गत दिनांक १७ नवम्बर, १६६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५४२ में प्रकाशित न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) दूसरा संशोधन नियम, १६६२ ।

राज्य सभा से सन्देश १४७६

सचिव ने राज्य सभी से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा अपनी २३ नवम्बर १६६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २१ नवम्बर, १६६२ को पास किये गये सीमा-शुल्क विधेयक, १६६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

विधेयक पुरःस्थापित १४७६

मनीपुर (मोटर स्पिरिट और स्नेहक तेलों की बिक्री) करारोपण विधेयक, १६६२ ।

विधेयक विचाराधीन १४८१-१५२८

भारत की प्रतिरक्षा विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड-वार विचार आरम्भ हुआ किन्तु समाप्त नहीं हुआ ।

मंगलवार, २७ नवम्बर, १६६२ / ६ अग्रहायण १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

भारत की प्रतिरक्षा विधेयक पर खंडवार विचार तथा उसका पारित किया जाना, तथा गन्ने का मूल्य निर्धारण करने के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा ।